छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी. इस्टेट, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर - 492007

पंजीयन क्रमांक 225 दिनांक 31.10.2000

अठारहवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 27 सितम्बर 2017

समय : अपरान्ह 2.30 बजे

स्थान : न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाईन्स, रायपुर

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

दूरभाषः (0771) 4065100-4065110 फैक्सः 2283594

E-mail: mfpfed.cg@nic.in; fed_raipur@cgmfpfed.org Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो/संघ/सह./वार्षिक आम सभा/2017/9720 रायपुर दिनांक 12/09/2017

प्रति

1. **श्री भरत साय, माननीय अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - मुण्डाडीह, पोस्ट भगोरा, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग)

2. **श्री टीकम टांडिया, उपाध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - ग्राम पोस्ट भीरागांव, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)

3. **कु. समीरा पैकरा, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग)

4. **श्रीमती सुशीला बाई, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता- ग्राम मुड़ागांव, पोस्ट मुड़गेलमाल, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग)

5. **श्री कपूर चंद बिसाई, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - ग्राम पोस्ट बकावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग)

6. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - ग्राम आमापारा, बालोद, तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग)

7. **श्री बसंत सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, **संघ प्रतिनिधि**
   पता - ग्राम जटासमेर, पोस्ट पतरापाली, तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग)

8. **श्री प्रीतम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
   पता - ग्राम पोस्ट बहरासी, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग)

9. **श्री अखिलेश,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, **संघ प्रतिनिधि,**
   पता - ग्राम कोरछा, पोस्ट लखनपुर, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग)

10. **श्री रामसुन्दर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, **संघ प्रतिनिधि**
    पता- ग्राम पोस्ट रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर (छ.ग)

11. **श्री हीरा सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, **संघ प्रतिनिधि**
    पता - ग्राम डडरी, पोस्ट जयनगर, विकासखण्ड व जिला सूरजपुर (छ.ग)

12. **श्री मनोहर सिंह राज,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, **संघ प्रतिनिधि**
    पता - ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग)

13. **श्री सुन्दर सिंह राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, **संघ प्रतिनिधि**
    पता - ग्राम पोस्ट गितकुवारी, व्हाया कुदमुरा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग)

14. **श्रीमती बदन बाई,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम सगुना, पोस्ट बिंझरा, तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग)

15. **श्री राजकुमार बिंझवार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम अंगारखार, पोस्ट खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग)

16. **श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग)

17. **श्री हृदय राम राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग)

18. **श्री अमर सिंह नेताम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डुमरपाली, पोस्ट बया, व्हाया पिथौरा, वि.ख. कसडोल, जिला बलौदा-बाजार (छ.ग)

19. **श्री सोमनाथ सोम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम सम्बलपुर, पोस्ट अमाली, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग)

20. **श्री मनोहर सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट जोगनीपाली, समिति सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग)

21. **श्री पंच राम धुर्वे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट कुकदुर, विकासखण्ड पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग)

22. **श्री दिनेश शाह मंडावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग)

23. **श्री मोतीराम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम खम्पुरा, पोस्ट बोरतलाब, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग)

24. **श्री असीम राय,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पी.व्ही.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)

25. **श्री पतिराम मण्डावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट खेतरपाल, तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ.ग)

26. **श्री भगत राम मरकाम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोण्डागांव, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट केरावाही, तहसील मकड़ी, जिला कोण्डागांव (छ.ग)

27. **श्री विश्राम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम माण्डरादरहा, पोस्ट जामगांव, तहसील नरहनपुर जिला कांकेर (छ.ग)

28. **श्री महादेव देहारी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डुमरतराई, पोस्ट बाकुलवाही, जिला नारायणपुर (छ.ग)

29. **श्री मड़कम हड़मा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम चिचोरगुड़ा, पोस्ट मिसमा, तहसील कोंटा, जिला सुकमा (छ.ग)

30. **श्री पारेट कन्हैया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम पेगड़ापल्ली, पोस्ट दूधेड़ा, तहसील भोपालपट्टनम, जिला बीजापुर (छ.ग)

31. **श्री फागूराम तेलामी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डारापाल, पोस्ट नेलसनार, जिला बीजापुर (छ.ग)
32. **कार्यकारी संचालक,** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई, बिल्डिंग दूसरी मंजिल 3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
33. **संचालक,** आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016
34. **प्रमुख सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
35. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर
36. **प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर
37. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
38. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)** वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर
39. **विशेष सचिव,** छ.ग.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
40. **पंजीयक,** सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
41. **श्री सतीश पाण्डेय, संयुक्त सचिव,** छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

विषयः- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की अट्ठारहवी वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27.09.2017 (बुधवार) की सूचना।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की अट्ठारहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27.09.2017 दिन बुधवार को समय 02.30 बजे स्थान न्यू सर्किट हाऊस, सिविल लाईन्स रायपुर, के प्रथम तल पर स्थित कान्फ्रेन्स हाल में आयोजित किया जावेगा। वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार करने हेतु आहूत है:-

कार्य सूची

विषय क्रमांक 1	**सत्रहवी वार्षिक आम सभा दिनांक 27.09.2016 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन**
विषय क्रमांक 2	**वित्तीय वर्ष 2017-18 में किये गये कार्यो - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।**
विषय क्रमांक 3	**वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन**

विषय क्रमांक 4	**वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट की स्वीकृति**
विषय क्रमांक 5	**वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन**
विषय क्रमांक 6	**वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत**
विषय क्रमांक 7	**वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक के अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरान्त शुद्ध लाभ का विभाजन**

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

नोटः- निर्धारित समय पर गणपूर्ति के अभाव में वार्षिक साधारण सभा आधे घण्टे स्थगित होने के पश्चात 03.00 बजे से पुनः उसी स्थान पर प्रारम्भ की जावेगी।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें। वार्षिक साधारण सभा का विस्तृत एजेण्डा (पुस्तिका) पृथक से प्रेषित किया जावेगा।

सही/-
(सावित्री भगत)
सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषय-सूची

अनुक्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	सत्रहवी वार्षिक आम सभा दिनांक 27.09.2016 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन	1-7
2	वित्तीय वर्ष 2017-18 में किये गये कार्यो - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग -2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण	8-24
3	वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग -2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन	25-27
4	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट की स्वीकृति	28-35
5	वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन	36-51
6	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत	52
7	वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक के अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरान्त शुद्ध लाभ का विभाजन	53-59
अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।		

सही/-

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

अध्यक्षीय उद्बोधन

सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण,

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की अट्ठारहवीं आम सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय संचालक मण्डल के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।

सहकारिता में त्रिस्तरीय ढाँचे में लघु वनोपज संघ कार्यरत 901 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र वनभूमि होने के कारण यहां पर लघु वनोपज का बाहुल्य है। लगभग 14 लाख परिवार लघु वनोपज के संग्रहण से आय प्राप्त करते है, जिसमें से अधिकांश गरीब एवं आदिवासी है। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ इन्हीं गरीब व आदिवासी संग्रहणकर्ताओं के आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लक्ष्य की पूर्ति में अग्रसर है।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मानदेय प्रतिमाह रूपये 8450/- से बढ़ाकर रूपये 10,000/- प्रतिमाह दिनांक 01.07.2016 से किया गया है।

तत्पश्चात् प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का परिश्रमिक में वृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई घोषणा के संदर्भ में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मासिक पारिश्रमिक रूपये 10,000/- से बढ़ाकर रूपये 12,500/- करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधक के बीमा राशि में वृद्धि की जाकर राशि रूपये 25,000/- से रूपये 1.00 लाख किया गया है।

इस वर्ष तेन्दू पत्ता संग्रहण दर रु. 1500/- प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर रु. 1800/- प्रति मानक बोरा की गयी। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि संग्राहकों की मेहनत एवं वनोपज सहकारी समितियों के अथक प्रयासों से इस वर्ष तेन्दू पत्ते के समस्त लाटों का अग्रिम में निर्वर्तन रूपये 7945/- प्रति मानक बोरा के औसत विक्रय मूल्य पर हुआ। विगत वर्ष यह 4693/- रू. प्रति मानक बोरा था।

वर्ष 2015 में संग्रहित तेन्दूपत्ते के व्यापार से प्राप्त आय में से शासन निर्णय अनुसार 80 प्रतिशत राशि जो रूपये 88.06 करोड़ होती है, प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में संग्राहकों को वितरित की गई है।

तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिए प्रचलित जनश्री बीमा योजना के तहत संग्राहक को रू. 30,000/- से 75,000/- तक की राशि मृत्यु / विकलांगता की दशा में प्राप्त होती है। इस योजना की प्रीमियम की आधी राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा शेष आधी राशि की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन की जाती है। इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9वीं से 12वी तथा आई.टी.आई. में पढ़ने वाले 2 बच्चों को रूपये 600/- प्रति छः माही प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। इस योजना में भारतीय जीवन बीमा

निगम के द्वारा वर्ष 2016-17 में कुल 6767 व्यक्तियों को रूपये 22.13 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया है।

शैक्षणिक वर्ष 2014-15 में छात्रवृत्ति हेतु कुल 71,929 छात्र-छात्राओं को कुल राशि रूपये 8.63 करोड़ की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वितरित की जा चुकी है। वर्तमान में छात्रवृत्ति हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से एल.आई.सी.आई.डी. प्राप्त कर छात्रवृत्ति की सूची तैयार कर भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय को भेजकर छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष सदस्य जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष की है, को पुरानी समूह बीमा योजना में रू. 3500/- से 25,000/- तक की राशि मृत्यु / पूर्ण विकलांगता की दशा में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक योजना के तहत दुर्घटना या साधारण मृत्यु की दशा में राशि रूपये 6500/- का अतिरिक्त भुगतान संग्राहक परिवार के सदस्यों को किया जाता है।

तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेधावी छात्र / छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर-व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजनायें लागू है।

वर्ष 2014 से विभिन्न वनोपजों के क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गयी है। योजना में सालबीज, हर्रा, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली, कुसमी लाख तथा रंगीनी लाख का क्रय किया जा रहा है। संग्राहकों को उनके द्वारा लाई गई वनोपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके यह योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना में अब तक कुल रू. 106. 48 करोड़ लघु वनोपज का क्रय कर संग्राहकों को भुगतान किया गया है। इस योजना के लागू होने से संग्राहकों की आय में वृद्धि हुई है एवं लघु वनोपज का बाजार मूल्य भी बढ़ा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अतिरिक्त तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त लाभ की 15 प्रतिशत राशि से प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति एवं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से अन्य लघु वनोपज जैसे - बेल, आंवला, सतावर, कालमेघ, नागरमोथा व अन्य लघु वनोपज का संग्रहण एवं विक्रय किया गया है।

संघ द्वारा लघु वनोपज मुख्यतः इमली, आंवला, बेल, जामुन व अन्य औषधीय प्रजातियों के मूल्य वृद्धि एवं विपणन की दिशा में भी सार्थक प्रयास किये गये है। विगत वर्ष संजीवनी एवं NWFP मार्ट के माध्यम से रू. 1 करोड़ 09 लाख की लघु वनोपज के उत्पादों का विक्रय किया गया। इन्हें स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके सदस्य संग्राहक मुख्यतः होते है।

माननीय मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के 5000 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर दिनांक 13.08.2017 को संयुक्त वन प्रबंधन एवं प्राथमिक वनोपज समितियों का महा सम्मेलन **'वन मड़ई 2017'** आयोजित किया गया था, जिसमें वन विभाग, छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ, वन विकास निगम, छ.ग राज्य वनौषधि बोर्ड द्वारा भागीदारी सुनिश्चित की गयी थी। संघ द्वारा उक्त महा सम्मेलन में गतिविधियों से संबंधित एक स्टाल लगाया गया था। साथ ही स्व-सहायता समूहों, संयुक्त वन प्रबंधन समिति सदस्यों, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति

सदस्यों, जिला यूनियन के अधिकारी / कर्मचारी के लिये एक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका 'जीविकोपार्जन कार्यों के बढ़ावा हेतु हितग्राहियों का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण' "SKILL DEVELOPMENT OF BENEFICIARIES FOR THE PROMOTION OF LIVELIHOOD ACTIVITIES" तैयार कर माननीय मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से विमोचन कराया गया। उक्त महा सम्मेलन में मेधावी छात्रों तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को भी पुरूस्कृत किया गया।

अन्त में मैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से पुनः सभी उपस्थित सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके प्रयासों से प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में सफल हो सका है। आशा है भविष्य में भी आप इसी प्रकार लघु वनोपज संग्राहकों जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, की सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में कार्य करते रहेंगें।

धन्यवाद।

विषय क्रमांक - 1

विषयः- सत्रहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27.09.2016 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की सत्रहवीं वार्षिक आमसभा संघ के माननीय अध्यक्ष श्री भरत साय की अध्यक्षता में दिनांक **27.09.2016 दिन मंगलवार को समय दोपहर 11:00 बजे से न्यू सर्किट हाऊस रायपुर** के सभाकक्ष में प्रारंभ की गई।

बैठक के प्रारंभ में अपर प्रबंध संचालक संघ द्वारा जिला यूनियनों के प्रतिनिधियों एवं संचालक मण्डल के सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात सचिव लघु वनोपज संघ द्वारा लघु वनोपज संघ के निर्वाचन हेतु लागू आदर्श आचार संहिता से अवगत कराया गया। तदुपरान्त प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ द्वारा आमसभा की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

आमसभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहेः-

1. **श्री भरत साय, प्राधिकारी एवं संघ प्रतिनिधि,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुर
   पता - मुण्डाडीह, पोस्ट भगोरा, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग)
2. **श्री अखिलेश,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, **संघ प्रतिनिधि,**
   पता - ग्राम कोरछा, पोस्ट लखनपुर, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग)
3. **श्री मनोहर सिंह राज,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, **संघ प्रतिनिधि**
   पता - ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग)
4. **श्री सुन्दर सिंह राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, **संघ प्रतिनिधि**
   पता - ग्राम पोस्ट गितकुवारी, व्हाया कुदमुरा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग)
5. **श्रीमती बदन बाई,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, **संघ प्रतिनिधि**
   पता - ग्राम सगुना, पोस्ट बिंझरा, तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग)
6. **कु. समीरा पैकरा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही, **संघ प्रतिनिधि,**
   पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग)
7. **श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
   पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग)
8. **श्री हृदय राम राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
   पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग)
9. **श्री अमर सिंह नेताम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, **संघ प्रतिनिधि**
   पता - ग्राम डुमरपाली, पोस्ट बया, व्हाया पिथौरा, वि.ख. कसडोल, जिला बलौदा-बाजार (छ.ग)
10. **श्री सोमनाथ सोम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, **संघ प्रतिनिधि**
    पता - ग्राम सम्बलपुर, पोस्ट अमाली, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग)

11. **श्री मनोहर सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियल, महासमुन्द, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट जोगनीपाली, समिति सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग)

12. **श्रीमती सुशीला बाई,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, गरियाबंद, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम मुड़ागांव, पोस्ट मुड़ेगेलमाल, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.)

13. **श्री यज्ञदत्त शर्मा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बालोद, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम आमापारा, बालोद, तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग)

14. **श्री पंच राम धुर्वे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट कुकदुर, विकासखण्ड पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग)

15. **श्री दिनेश शाह मंडावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग)

16. **श्री मोतीराम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम खम्पुरा, पोस्ट बोरतलाब, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग)

17. **श्री असीम राय,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पी.व्ही.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)

18. **श्री टीकम टांडिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम पोस्ट भीरागांव, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)

19. **श्री पतिराम मण्डावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट खेतरपाल, तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ.ग)

20. **श्री भगत राम मरकाम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोण्डागांव, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट केरावाही, तहसील मकड़ी, जिला कोण्डागांव (छ.ग)

21. **श्री महादेव देहारी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डुमरतराई, पोस्ट बाकुलवाही, जिला नारायणपुर (छ.ग)

22. **श्री कपूरचंद बिसाई,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम पोस्ट बकावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग)

23. **श्री मड़कम हड़मा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम चिचोरगुड़ा, पोस्ट मिसमा, तहसील कोंटा, जिला सुकमा (छ.ग)

24. **श्री पारेट कन्हैया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम पेगड़ापल्ली, पोस्ट दूधेड़ा, तहसील भोपालपट्टनम, जिला बीजापुर (छ.ग)

25. **श्री फागूराम तेलामी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डारापाल, पोस्ट नेलसनार, जिला बीजापुर (छ.ग)

26. **श्री बी.एल सरन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर

27. **श्री प्रदीप पंत, प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

28. **श्री पी.एस सर्पराज, उप सचिव, प्रतिनिधि सचिव** छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

29. **श्री के.सी किस्कु, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)** वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर

30. **श्री अनुपम त्रिवेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी प्रतिनिधि सचिव,** छ.ग.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

31. **श्रीमती सावित्री भगत, संयुक्त पंजीयक प्रतिनिधि पंजीयक,** सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

निम्नानुसार संघ प्रतिनिधि एवं अधिकारीगण अनुपस्थित रहेः-

1. **श्री बसंत सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम जटासमेर, पोस्ट पतरापाली, तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग)

2. **श्री प्रीतम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट बहरासी, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग)

3. **श्री रामसुन्दर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता- ग्राम पोस्ट रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर (छ.ग.)

4. **श्री हीरा सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डडरी, पोस्ट जयनगर, विकासखण्ड व जिला सूरजपुर (छ.ग)

5. **श्री राजकुमार बिंझवार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम अंगारखार, पोस्ट खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग)

6. **श्री विश्राम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, संघ प्रतिनिधि,
पता - ग्राम माण्डरादरहा, पोस्ट जामगांव, तहसील नरहरपुर जिला कांकेर (छ.ग)

7. **कार्यकारी संचालक,** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई, बिल्डिंग दूसरी मंजिल 3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

8. **संचालक,** आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016

9. **प्रमुख सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

10. **सचिव,** छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-

विषय कमांक	विषय	संकल्प	की गई कार्यवाही
1	सोलहवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 29.09.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।	सत्रहवीं वार्षिक आमसभा द्वारा सोलहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 29.09. 2015 के प्रस्ताव क्रमांक 1 (क) से 7 तक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

2	वित्तीय वर्ष 2016-17 में किये गये कार्यों का विवरण।	वार्षिक आमसभा में प्रबंध संचालक द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में संघ द्वारा किये गये कार्यो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिस पर सहमति व्यक्त की गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
3	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन।	प्रबंध संचालक द्वारा संघ में वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित कियाकलापों का विवरण आमसभा में प्रस्तुत किया गया जिसका आमसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
4	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट की स्वीकृति।	प्रस्तुत बजट निम्नांकित संशोधनों के साथ पारित किया गया - 1. कार्यालयीन व्यवस्था के अ.क्र. 12 फोटोकापी एवं छपाई व्यय हेतु प्रावधान रू. 70.00 लाख के स्थान पर रू. 15.00 लाख किया गया । (पृ. क्र. 34)	कार्यालयीन पत्र क्रमांक / वनो / संघ / सह / 2017 / 1501 दिनांक 07.02.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रस्तुत बजट में आम सभा द्वारा किए गए संशोधन की संसूचना जारी किया जा चुका है।
		2. कार्यालयीन व्यवस्था के अ.क्र. 17 विज्ञापन एवं निविदा व्यय हेतु प्रावधान रू. 60.00 लाख के स्थान पर रू. 50.00 लाख किया गया । (पृ. क्र. 34)	
		3. कार्यालयीन व्यवस्था के अ.क्र. 18 प्रचार-प्रसार व्यय हेतु प्रावधान रू. 40.00 लाख के स्थान पर रू. 35.00 लाख किया गया। (पृ. क्र. 34)	
		4. कार्यालयीन व्यवस्था के अ.क्र. 28 घसारा हेतु प्रावधान रू. 250.00 लाख के स्थान पर रू. 200.00 लाख किया गया। (पृ. क्र. 34)	
		5. पूंजीगत व्यय के अ.क्र. 1 भवन निर्माण एवं विशेष मरम्मत (गोदाम, कार्यालय, आवासीय एवं प्रसंस्करण केन्द्र) हेतु प्रावधान रू. 4200.00 लाख के स्थान पर रू. 3500.00 लाख किया गया। (पृ. क्र. 35)	

		6. पूंजीगत व्यय के अ.क्र. 6 कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण क्रय (संघ ऑफिस का डिजिटलाइजेशन) हेतु प्रावधान रू. 100.00 लाख के स्थान पर रू. 75.00 लाख किया गया। (पृ. क्र. 35) 7. पूंजीगत व्यय के अ.क्र. 8 कर्मचारी कल्याण निधि हेतु प्रावधान रू. 100.00 लाख के स्थान पर शून्य किया गया। (पृ. क्र. 35)	
5	वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।	वित्तीय वर्ष 2014-15 के वित्तीय पत्रकों का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया।	वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन किया गया।
6	वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति विषयक।	निर्णय लिया गया कि अंकेक्षण कार्य हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. द्वारा सूचीकृत चार्टर्ड एकाउण्टेड फर्मों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर परीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर तकनीकी रूप से प्राप्त पात्र न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता फर्म मुकुंद शिवा एण्ड एसोसिएट को रू. 1,49,100/- में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक नियुक्त किया जावे।	वित्तीय वर्ष 2016-17 के संविधिक अंकेक्षक नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा से अनुमति उपरांत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 356 दिनांक 06.10.2016 से नियुक्ति आदेश जारी किया गया।
7	वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरांत शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन।	निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2008-09 की अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरांत शुद्ध लाभ रू. 2,94,87,559/- का विभाजन प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार किया जावे।	वित्तीय वर्ष 2008-09 के शुद्ध लाभ के विभाजन की साधारण सभा की बैठक दिनांक 27.09.2016 में स्वीकृति उपरान्त शुद्ध लाभ के विभाजन की कार्यवाही की गई।
8	प्राधिकारी महोदय की अनुमति से अन्य विषय - यूरोपियन कमीशन परियोजना की समाप्ति उपरान्त संचालित।	निर्णय लिया गया कि दिसम्बर 2016 को यूरोपियन कमीशन परियोजना की समाप्ति पश्चात भी संघ को प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि से परियोजना के कार्यों को चालू रखा जावे एवं वर्तमान में संविदा पर कार्यरत सीनियर एक्सीक्यूटिव, जूनियर एक्सीक्यूटिव तथा डाटा एण्ट्री आपरेटरर्स को इसी मद से वेतन दिया जावे।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 14114 दिनांक 21.12.2016 के माध्यम से संबंधित जिला यूनियनों को निर्देशित किया जा चुका है। कार्यवाही पूर्ण।

9	आमसभा की बैठक में विभिन्न जिला यूनियनों के प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा के दौरान सुझाव दिये गये। प्राप्त सुझावों का विवरण निम्नानुसार है:- • जिला यूनियन बालोद के प्रतिनिधि द्वारा सुझाव दिया गया कि जिला यूनियन में पदस्थ उप वन क्षेत्रपालों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों को निर्धारित किया जाकर मानिटरिंग एवं अन्य कार्यों में जिला यूनियन के अमले का अधिक उपयोग किया जाना आवश्यक है।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक / वनो / संघ / स्था / 2017 / 9567 दिनांक 08.09.2017 समस्त प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित छत्तीसगढ़ को जिला यूनियन में पदस्थ उप वन क्षेत्रपालों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों को निर्धारित किया जाकर मानिटरिंग एवं अन्य कार्यों हेतु दिशा निर्देश तैयार कर प्रेषित किया गया है।
	• जिला यूनियन बालोद के प्रतिनिधि द्वारा प्राथमिक वनोपज समितियों में कार्यालय की सुरक्षा हेतु रखे गये श्रमिकों को अंशकालिक के रूप में दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया गया।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक / वनो / संघ / सह / 2016 / 9965 दिनांक 14.09.2016 के द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में कार्यालय की सुरक्षा हेतु रखे गये श्रमिकों की पारिश्रमिक में राशि रूपये 7200/- वार्षिक से बढ़ाकर रूपये 8400/- वार्षिक किया जा चुका है।
	• जिला यूनियन पूर्व भानुप्रतापपुर के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मूलभूत सुविधा विकास के अंतर्गत कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों विशेषकर हैण्डपंप के मरम्मत की सख्त आवश्यकता है, उनके द्वारा इस हेतु अलग से राशि का अनुरोध किया गया।	हैण्डपंप मरम्मत हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/2009 में पारित निर्णय अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व विभाग को आवश्यक रूप से सूचित करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक / वनो / संघ / वित्त / 2017 / 831 रायपुर दिनांक 23.01.2017 लेख कर समस्त जिला यूनियनों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अवगत कराया।

	• जिला यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा भवनविहीन समितियों हेतु भवनों के निर्माण एवं निर्मित भवनों के रख-रखाव हेतु राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधियों द्वारा यह भी कहा गया कि 15 प्रतिशत की राशि का उपयोग केवल लघु वनोपज व्यापार एवं लाख संबंधित कार्यों हेतु किया जा रहा है। इसमें से कुछ राशि उक्त कार्यों एवं मूलभूत विकास के कार्यों के लिये भी प्रावधानित की जावे।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक / वनो / संघ / 2017 / 1097 दिनांक 28.01.2017 द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के कार्यालय के विशेष मरम्मत हेतु मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महा प्रबंधक वन वृत्तों को राशि उपलब्ध करा दी गई है। उक्त 15 प्रतिशत राशि का उपयोग शासन द्वारा जारी निर्धारित कार्यों हेतु किया जाता है।
	• जिला यूनियन सुकमा के प्रतिनिधि द्वारा सुझाव दिया गया कि समिति कार्यालयों को कम्प्यूटर प्रदान किये जाने चाहिए, ताकि कार्यों में गति लायी जा सके।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक / वनो / संघ / कम्प्यूटर / 2017 / 1318 दिनांक 02.02. 2017 से समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महा प्रबंधक छत्तीसगढ़ को वर्ष 2017-18 में 150 कम्प्यूटर क्रय कर जिला यूनियन से सम्बद्ध प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को प्रदान करने हेतु निर्देश दिया गया है।
	• जिला यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश जिला यूनियन कार्यालयों में विशेष मरम्मत एवं अतिरिक्त निर्माण की आवश्यकता है। साथ ही जिला यूनियनों के माननीय अध्यक्ष हेतु भी अच्छे कमरे एवं फर्निचर की व्यवस्था होनी चाहिये।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक / वनो / संघ / भण्डा / 2017 / 13247 दिनांक 03.12.2016 से समस्त प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित छत्तीसगढ़ को प्रत्येक जिला यूनियन कार्यालय के नवनिर्वाचित अध्यक्षों की बैठक व्यवस्था एवं कमरे की साज-सज्जा हेतु रूपये 50,000 - 50,000 की स्वीकृति दी गई है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर प्राधिकारी महोदय द्वारा परीक्षण कर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। अन्त में धन्यवाद ज्ञापन पश्चात सभा की कार्यवाही संपन्न हुई।

विषय क्रमांक - 2

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, मुख्य वन सरंक्षक एवं पदेन महा प्रबंधक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयें में दिनांक 08.09.2017 की स्थिति में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदों की संख्या संलग्न **परिशिष्ट 'क'** में दर्शाई गई है ।

(ii) तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना

तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिए प्रचलित जनश्री बीमा योजना के तहत संग्राहक को रू. 30,000/- से 75,000/- तक की राशि मृत्यु / विकलांगता की दशा में प्राप्त होती है। इस योजना की प्रीमियम की आधी राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा शेष आधी राशि की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन की जाती है। इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9वीं से 12वी तथा आई.टी.आई. में पढ़ने वाले 2 बच्चों को रूपये 600/- प्रति छःमाही प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2016-17 में माह मार्च 2017 तक 6767 हितग्राहियों को रूपये 22.12 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया है।

तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष है, के लिये सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना, तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष है, के लिये आम आदमी (जनश्री) बीमा योजना के स्थान पर दिनांक 01.06.2017 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) लागू करने का निर्देश केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है। इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है। योजना को लागू करने के लिये राज्य शासन के द्वारा देय राशि लगभग 15.65 करोड़ होगी, जिसके प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है। इस नवीन बीमा योजना अंतर्गत संग्राहक परिवार के मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये तथा आकस्मिक मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक वर्ष 2014-15 में छात्रवृत्ति हेतु कुल 71,929 छात्र-छात्राओं को कुल राशि रूपये 8.63 करोड़ की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वितरित की जा चुकी है। शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में छात्रवृत्ति हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से एल.आई.सी.आई.डी. प्राप्त कर छात्रवृत्ति की सूची तैयार कर भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय को भेजकर छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही की जावेगी।

संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष सदस्य जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष की है, को पुरानी समूह बीमा योजना में रू. 3500/- से 25,000/- तक की राशि मृत्यु / विकलांगता की दशा में प्राप्त होती है। वर्ष 2016-17 में माह मार्च 2017 तक 2936 हितग्राहियों को रूपये 1.37 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त अटल तेन्दू पत्ता संग्राहक योजना के तहत दुर्घटना या साधारण मृत्यु की दशा में राशि रूपये 6500/- का अतिरिक्त भुगतान संग्राहक परिवार के सदस्यों को किया जाता है। वर्ष 2016-17 में माह मार्च 2017 तक 2866 हितग्राहियों का रूपये 1.86 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया है।

तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएँ जैसे मेधावी छात्र / छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर-व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है।

मेधावी छात्र / छात्राओं को पुरस्कार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 अगस्त 2017 की स्थिति में 2479 छात्र / छात्राओं को कुल राशि रूपये 0.60 करोड़ का भुगतान किया गया। व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 अगस्त 2017 की स्थिति में 204 छात्र / छात्राओं को कुल राशि रूपये 0.15 करोड़ का भुगतान किया गया। गैर व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 31 अगस्त 2017 की स्थिति में कुल 877 छात्र / छात्राओं के कुल राशि रूपये 0.39 करोड़ का भुगतान किया गया। तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 अगस्त 2017 की स्थिति में कक्षा 10वीं में कुल 903 छात्र / छात्राओं को राशि रूपये 1.35 करोड़ एवं कक्षा 12वीं में कुल 658 छात्र / छात्राओं को राशि रूपये 1.64 करोड़ का भुगतान किया गया।

(iii) तेन्दू पत्ते का व्यापार

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2017 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 950 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.64 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रू. 1331.09 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रू. 8000/- प्रति मानक बोरा है। वर्ष 2017 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 1800/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। जिला यूनियनों से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 950 लाटों में 17.10 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रू. 1358.65 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 7945/- प्रति मानक बोरा रहा।

जिला यूनियनवार निवर्तित लाटों का विवरण **परिशिष्ट 'ख'** में संलग्न है।

(iv) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना

संग्राहकों को उनके वनोपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, इस दृष्टि से शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई है। उक्त योजना अंतर्गत प्रदेश में **परिशिष्ट 'ग-1'** एवं **परिशिष्ट 'ग-2'** में दिये गये विवरण अनुसार 7 वनोपजों का क्रय किया जा रहा है।

भारत सरकार से लघु वनोपज संघ को वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में रू. 153.66 करोड़ तथा राज्य सरकार से वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में रू. 49.44 करोड़ इस प्रकार कुल रू. 203.10 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। उक्त योजना की जिला स्तर पर समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है तथा राज्य स्तर पर उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2 दिनांक 25.07.2014 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **''राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति''** का गठन किया गया है।

योजना के अंतर्गत क्रय की जा रहीं लघु वनोपज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रबंध संचालकों को समुचित निर्देश दिये गये है। वनोपज का संग्रहण निरंतर हो सके, इस हेतु विनाशविहीन विदोहन पद्धति से वनोपज के संग्रहण के बारे में संग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है। उप प्रबंध संचालक एवं उप प्रबंधकों को बैठक में विस्तृत निर्देश दिये गये है। वृत्त स्तर पर प्रबंधकों की बैठकें भी आयोजित की जा रहीं है, जिसमें लघु वनोपज की गुणवत्ता एवं विनाशविहीन विदोहन विषयों पर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। वनोपज का क्रय वास्तविक संग्राहकों / उत्पादकों से ही किया जावें एवं क्रय में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जावें इस बाबत् भी निर्देश दिये गये है। इस योजना के अंतर्गत वनोपजों की क्रय दरें सालबीज – रु. 10/-, हर्रा – रु. 8/-, महुआ बीज – रु. 20/-, इमली – रु. 22/-, चिरौंजी गुठली – रु. 60/-, कुसुमी लाख – रु. 150/- एवं रंगीनी लाख – रु. 100/- प्रति किलोग्राम है।

वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार आदिवासी मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 2/21/2013-CP & R/M & J दिनांक 28.10.2016 द्वारा इमली की दर रु. 22/- प्रति किलोग्राम के स्थान पर रु. 18/- प्रति किलोग्राम संशोधित किया गया।

इमली की दर कम होने के कारण छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग सम समन्वय में प्राप्त अनुमोदन कार्यालयीन आदेश क्रमांक/वनो./का.द./न्यू.स.मू./इमली/2017/56 दिनांक 20.02.2017 के अनुरूप राज्य में इमली संग्रहण सीजन 2017 हेतु इमली का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. 18/- प्रति किलोग्राम के स्थान पर रू. 22/- प्रति किलोग्राम किया गया।

योजना में अब तक कुल 5,31,261.723 क्विंटल वनोपज का क्रय किया गया है एवं रू. 106.48 करोड़ का संग्राहकों को भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि योजना का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। इस योजना के लागू होने से संग्राहकों की आय में वृद्धि हुई है एवं लघु वनोपज का बाजार मूल्य भी बढ़ा है। इस योजना में लगभग रु. 42.27 करोड़ की हानि हुई है।

(v) गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) का व्यापार

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2016-17 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी हेतु संग्रहण दर का निर्धारण करने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से अनुरोध किया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के निर्देश अनुसार वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत दर पर ही संग्रहण एवं क्रय किया जाना है। अतः गोंद वर्ग-1 (कुल्लू) श्रेणी-I हेतु संग्रहण दर 20,000/- श्रेणी-II हेतु संग्रहण दर 15,000/- व

श्रेणी-III हेतु 10,500/- निर्धारित की गयी है। प्रदेश की 5 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 210 क्विंटल के विक्रय हेतु ई-निविदा आमंत्रित कर कार्यवाही की गयी है।

अग्रिम विक्रय की दो निविदाओं में किसी भी इकाई का विक्रय नहीं हुआ। पश्चिम भानुप्रतापपुर में गोंद वर्ग-1 (कुल्लू) द्वितीय श्रेणी में 2.50 क्विंटल एवं तृतीय श्रेणी में 1. 50 क्विंटल संग्रहण हुआ है। वर्ष 2017-18 में गोंद को विनिर्दिष्ट वनोपज से हटाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत् संग्रहण कराया जाना है अतः 2017-18 के अग्रिम विक्रय की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है।

(vi) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल)

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2016-17 हेतु धावड़ा / खैर / बबूल हेतु संग्रहण दर का निर्धारण करने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से अनुरोध किया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के निर्देश अनुसार वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत दर पर ही संग्रहण एवं क्रय किया जाना है। धावड़ा गोंद हेतु रू. 2900/- व खैर / बबूल हेतु रू. 1740/- दर निर्धारित की गयी। गोंद वर्ग-2 में दो इकाईयों हुआ था। जिसमें अग्रिम विक्रित इकाई बीजापुर में 25.50 क्विंटल व जगदलपुर में 2.00 क्विंटल गोंद का संग्रहण हुआ है। वर्ष 2017-18 में गोंद को विनिर्दिष्ट वनोपज से हटाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत् संग्रहण कराया जाना है अतः 2017-18 के अग्रिम विक्रय की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है।

(vii) तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2015 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 88.06 करोड़ का संग्राहकों को वितरण लगभग पूर्ण किया जा चुका है।

(viii) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय को घटाकर) की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 तक राशि जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है । वर्ष 1998 से वर्ष 2007 तक जिला यूनियनवार कुल उपलब्ध कराई गई राशि रू. 93.98 करोड़ एवं प्राथमिक समितियों द्वारा कराये गये कार्यो पर व्यय की गई राशि रू. 80.81 करोड़ का विवरण <u>परिशिष्ट 'घ'</u> में संलग्न है जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

(ix) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण

संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियन स्तर पर लेखा संधारण का कार्य "टैली साफ्टवेयर" के माध्यम से किया जा रहा है। लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई है साथ ही लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ है। संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 का लेखांकन कार्य "टैली साफ्टवेयर" के माध्यम से पूर्ण किया गया है। इस प्रकार वनोपज संघ लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हैं। प्राथमिक वनोपज

सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ाने एवं प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से चरणबद्ध तरीके से उनका कम्प्यूटाराइजेशन शीघ्र शुरु किया जा रहा है।

(x) संघ विभाजन संबंधी विवाद -

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मश्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्‌वर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ हैं। उक्त विभाजन में अस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च्य न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च्य न्यायालय में विचाराधीन है।

(xi) बैंकिंग व्यवस्था में सुधार

वनोपज के क्रेताओं को देश के किसी भी स्थान से विक्रय मूल्य एवं देय राशि ज़मा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-मनी ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की गई है। यह सुविधा संघ के भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं आई.सी.आई.सी.आई बैंक के खातों में उपलब्ध है। इस सुविधा के अतिरिक्त लघु वनोपज संघ द्वारा पूर्व प्रक्रिया अनुसार जारी की जा रही मनी रसीद के अतिरिक्त नई प्रक्रिया के अनुसार आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमि. के माध्यम से ऑनलाइन मनी रसीदें जारी की जाने हेतु व्यवस्था दिनांक 05.05.2014 से लागू की गई है। उक्त मनी रसीदों का विवरण संघ मुख्यालय का प्रमाणक क्रमांक/दिनांक संघ की वेबसाइट में प्रत्येक दिवस प्रदर्शित होगी।

संघ द्वारा की गई पहल के कारण अब लघुवनोपज विक्रय से संबंधी सभी कार्य पूर्णतः पारदर्शी, सुलभ एवं द्रुत हो गये हैं। इससे क्रेताओं का संघ के प्रति दृष्टिकोण अच्छा हुआ है एवं प्रशासन में कसावट आई है। इसी प्रकार क्रेताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों द्वारा क्रेताओं द्वारा जमा कराई गई राशि कोर बैंकिंग के माध्यम से सीधे संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खातें में जमा कराई जा रही है।

जिला वनोपज यूनियनों को विभिन्न कार्यो के संपादन हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराने के लिए पूर्व वर्षो में संघ के भारतीय स्टेट बैंक खाता क्रमांक 30735345823 से राशि आहरण के अधिकार प्रदान किये गये थे किन्तु जिला स्तर उक्त खातें से भुगतान में आ रही कठिनाईयों के कारण अब वर्तमान में जिला यूनियनों के कार्यो के संपादन हेतु पंजाब नेशनल बैंक रायपुर के सेन्ट्रल पी.एन.बी. फण्ड मैनेजमेण्ट (एफ मोड्यूल) योजना के तहत्‌ सेन्ट्रल खाता खोला गया है एंव इसी खाते की आई.डी. सहित समस्त जिला यूनियनों के मुख्यालय पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जिला यूनियनों के शुन्य बैलेंस खातें खाले गये हैं। जिसके परिचालन के अधिकार भी प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिये गए हैं। इस व्यवस्था के तहत प्रति जिला यूनियन राशि आवश्यकतानुसार उक्त खातें से प्रतिदिन राशि रूपये 20.00 लाख तक के अधिकतम आहरण किया जा सकता है।

इसी प्रकार समस्त जिला यूनियनों के संघ मुख्यालय के पंजाब नेशनल बैंक शाखा में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु शुन्य बैलेंस पर खाते खोले गये हैं। उक्त खाते से जिला यूनियनों द्वारा प्रतिदिन अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख का आहरण/भुगतान किया जा सकता है।

(xii) तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका का वितरण

वर्ष 2016-17 में शासन निर्णय अनुसार 11.60 लाख महिला तेंदू पत्ता संग्राहकों को एक जोड़ी चप्पल वितरण हेतु चप्पल क्रय हेतु ई-निविदा दिनांक 28.12.2015 को आमंत्रित की गयी थी। एक निविदाकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रमांक 239/2016 दायर किये जाने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय के पालन में कार्यवाही कर उक्त निविदा निरस्त कर पुनः चप्पल क्रय हेतु ई-निविदा दिनांक 05.04.2017 को आमंत्रित की गई थी, परतु निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत चप्पलों के नमूने संघ द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंड के अनुरूप नहीं पाये जाने के फलस्वरूप शासन निर्णय के पालन में निविदा निरस्त कर पुनः ई-निविदा दिनांक 14.9.2017 तक ई-निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की जा रही है।

शासन निर्णय अनुसार वर्ष 2017-18 में तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरूष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका एवं एक महिला सदस्य को एक सिंथेटिक साड़ी प्रदाय हेतु क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(xiii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों एवं फड़ मुंशियों का समूह बीमा

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 से बीमा कराया जा रहा है, ताकि प्रबंधक की मृत्यु की दशा में उनके नामित को बीमित राशि उपलब्ध हो सके। प्रबंधकों की बीमा प्रीमियम की राशि का एकमुश्त भुगतान संघ मुख्यालय द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2016-17 में 840 समिति प्रबंधकों का बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजनान्तर्गत कराया गया था। वर्ष 2017-18 में 825 समिति प्रबंधकों का प्रबंधक समूह बीमा योजना अंतर्गत पालिसी संख्या 305000123 से पुनः नवीनीकरण कराया गया है, जो दिनांक 18.03.2017 से 17.03.2018 तक मान्य रहेगा। जिसमें प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक की मृत्यु होने की दशा में राशि रूपये 25,000/- उनके नामित को भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय से राशि प्राप्त होने पर उपलब्ध करायी जावेगी।

संचालक मण्डल की 68वीं बैठक दिनांक 17.01.2017 के प्रस्ताव क्रमांक 68:21 में प्रबंधकों के बीमा राशि रूपये 1.00 लाख के पारित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में एवं छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की अनुमति उपरान्त तथा सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्ति उपरान्त प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का बीमा दिनांक 18.05.2017 से भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय की समूह बीमा पालिसी नम्बर 305001496 से राशि रूपये 75,000/- का बीमा कराया गया है जो दिनांक 18.05. 2017 से 17.05.2018 तक (एक वर्ष हेतु) मान्य होगा। बीमित प्रबंधक की मृत्यु की दशा में उनके नामित को रूपये अतिरिक्त राशि रूपये 75,000/- उपलब्ध हो सकेगा।

राज्य शासन के द्वारा प्रबंधकों की तरह फड़मुंशियों की मृत्यु होने की दशा में राशि रूपये 1.00 लाख का बीमा करने का निर्णय लिया गया है। इसके लागू होने पर उनके नामित को भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय से राशि प्राप्त होने पर उपलब्ध करायी जावेगी। इसकी कार्यवाही प्रगति पर है।

(xiv) वनोपज सहकारी संस्थाओं का संचालक मण्डल

वर्ष 2016 में दिनांक 18.04.2016, 20.04.2016 एवं 26.04.2016 को प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का निर्वाचन सम्पन्न हुआ एवं जिला लघुवनोपज सहकारी यूनियनों में दिनांक 01.08.2016 को निर्वाचन पूर्ण कर संचालक मण्डल का गठन किया गया है। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के संचालक मण्डल का निर्वाचन दिनांक 03.11.2016 को पूर्ण कर निम्नानुसार निर्वाचित घोषित किया गया:-

क्रमांक	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम
1	श्री भरत साय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	अध्यक्ष
2	श्री टीकम टॉडिया, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	उपाध्यक्ष
3	कु.समीरा पैकरा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक
4	श्रीमती सुशीला बाई, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक
5	श्री कपूर चंद बिसाई, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक
6	श्री यज्ञ दत्त शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक

(xv) अकाष्ठीय वनोपज विकास

1. संसाधन संवर्धन - लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

वन क्षेत्रों में अकाष्ठीय वनोपज के विकास हेतु **''लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना''** की जा रही है। इसके अंतर्गत वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले बहुमूल्य अकाष्ठीय वनोपज प्रजातियों के संसाधन सर्वेक्षण, अंत:स्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, वन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वन औषधालय की स्थापना के कार्य किये जाते है। सभी कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अगस्त 2017 तक 1 नया लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1000 हेक्टेयर में तथा पूर्व दो वर्षों में स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्र के 14000 हेक्टेयर में रख-रखाव का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

लोक संरक्षित क्षेत्र परियोजना के तहत 10 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों (200 से 500 हे. तक के क्षेत्र) की स्थापना मार्च 2018 तक की जानी है।

2. तेन्दूपत्ते के व्यापार से प्राप्त आय की 15 प्रतिशत राशि से अराष्ट्रीयकृत वनोपज का क्रय

शासन के द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार संग्रहण वर्ष 2008 एवं आगामी वर्षों की तेन्दूपत्ते के व्यापार से प्राप्त आय की 15 प्रतिशत राशि से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का क्रय-विक्रय, भंडारण, प्रसंस्करण एवं लाख पालन तथा प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु रू. 142.78 करोड़ प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को जिला यूनियनों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं।

3. लाख विकास

लाख विकास योजना के तहत लाख पालन माइक्रोइंटरप्राईजेस की 83 परियोजनाओं के लिये जिला यूनियनों को रू. 19.19 करोड़ की राशि प्रदाय की गयी है तथा प्रदाय राशि के विरूद्ध रू. 17.84 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रावधानित राशि रू. 2.10 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 84.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिससे लाख पालन की स्वीकृत परियोजनाओं के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के कार्य संपादन हेतु राशि प्रदाय कर लाख प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र, माकड़ी में लाख पालक कृषकों / मास्टर ट्रेनर्स के लिये प्रशिक्षण आयोजित की जावेगी। योजना अंतर्गत लाख प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र द्वारा अब तक 302 लाख पालन मास्टर ट्रेनर्स एवं लाख पालक कृषकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा यह प्रक्रिया जारी है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत लाख पालन एवं प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राईजेस की 26 परियोजनाएँ जिला यूनियनों में संचालित की जा रही है। इस परियोजना में लगभग 13214 हितग्राहियों को योजना से लाभ पहुँचाया जा रहा है। संपूर्ण परियोजना के लिए केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राशि रू. 14.97 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2017-18 तक स्वीकृत परियोजना के कार्य संपादन हेतु राशि रू. 11.23 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरूद्ध राशि रू. 9.77 करोड़ व्यय की गई है। शेष राशि का व्यय अवशेष कार्यों के संपादन में किया जाना प्रस्तावित है।

मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15 प्रतिशत राशि में से रू. 98.00 करोड़ लागत की एक सप्त वर्षीय लाख पालन परियोजना (2015-16 से 2021-22) अंतर्गत 25.00 लाख पोषक वृक्षों में 63675 हितग्राहियों द्वारा लाख पालन का कार्य प्रस्तावित है। वर्ष 2017-18 में अब तक रू. 7.61 करोड़ लागत की कुल 55 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत 7939 हितग्राही लाभांवित हो रहे है तथा यह प्रक्रिया जारी है। परियोजनांतर्गत प्रावधानित मास्टर ट्रेनर्स में से कुल 74 मास्टर ट्रेनर्स को IINRG रांची द्वारा लाख पालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

4. अकाष्ठीय लघु वनोपज संबंधी कार्य

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देने के लिये संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था। परियोजनांतर्गत 17196 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। उक्त परियोजना में ग्रामीणों के जीविकोपार्जन हेतु लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण के 74 माइक्रोइंटरप्राइजेस स्थापित किये गये हैं। माइक्रोइंटरप्राइजेस में निर्मित उत्पादों के विपणन के लिये 06 NWFP मार्ट एवं 30 संजीवनी की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों में उत्पादों का विपणन ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' रजिस्टर्ड ब्रांड नेम से किया जा रहा है। माइक्रोइंटरप्राइजेस एवं संजीवनी का संचालन स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। इन केन्द्रों में प्राप्त लाभ स्व-सहायता समूह को प्राप्त होता है। ग्रामीणों / आदिवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने हेतु राज्य में 48 वनौषधालयों की स्थापना किया जाकर वहाँ वैद्यों की नियुक्ति की गयी है। साथ ही परियोजनांतर्गत 21380 हितग्राहियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। यह परियोजना 31 दिसम्बर 2016 में समाप्त हो गयी है।

4.1 छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना

यूरोपियन कमीशन परियोजना समाप्ति के पश्चात परियोजनांतर्गत संचालित कार्यों को आगे बढ़ाने तथा अकाष्ठीय लघु वनोपज रोजगारोन्मुखी कार्य के विस्तार के लिये संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से एक सात वर्षीय परियोजना ''छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना'' के नाम से स्वीकृत की गयी है। उक्त सात वर्षीय परियोजना की कुल लागत राशि रू. 29.50 करोड़ है, जिसमें निम्नानुसार घटकों के अंतर्गत कार्य किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.	घटक का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)
1.	अकाष्ठीय वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य	155.00
2.	भण्डारण	95.00
3.	विपणन	185.00
4.	अनुसंधान एवं विस्तार	135.00
5.	हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा	260.00
6.	लघु वनोपज संरक्षण	60.00
7.	सूचना प्रबंधन प्रणाली	50.00
8.	मानव संसाधन प्रबंधन एवं क्षमता विकास	2010.00
	योग	**2950.00**

वर्तमान में परियोजना अंतर्गत प्रशिक्षण का कार्य प्रगति पर है।

4.2 वनौषधि/हर्बल उत्पाद निर्माण

यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत स्थापित 06 वनौषधि निर्माण केन्द्रों में वनौषधी उत्पाद हेतु ड्रग लायसेंस प्राप्त कर लिया गया है। इन केन्द्रों में 90 वनौषधी उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही आंवला, बेल, जामुन, तिखुर, शहद, चिरौंजी एवं काजू

आदि हर्बल खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाता है, जिनका विपणन NWFP मार्ट एवं संजीवनी के माध्यम से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त वन क्षेत्रों से शहद का संग्रहण कर 04 केन्द्रों में शहद प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ माहुल पत्तों से 10 केन्द्रों में दोना-पत्तल बनाने का कार्य भी स्व-सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

4.3 विपणन

राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFP मार्ट की स्थापना की गई है, जहाँ से वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज को निश्चित दर पर क्रय किया जा रहा है। हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा इन उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रदेश में स्थापित NWFP मार्ट में वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्रय-विक्रय की प्रगति निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्रय मूल्य (रू. लाख में)	विक्रय मूल्य (रू. लाख में)
2016-17	101.33	108.65

माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु विभिन्न जिलों में कुल 30 संजीवनी की स्थापना की गयी है। इन संजीवनी विक्रय केन्द्रों के माध्यम से स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार हर्बल उत्पादों का संघ मुख्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर विक्रय किया जाता है। वृत्त मुख्यालय स्तरीय संजीवनी विक्रय केन्द्रों में प्रधानमंत्री के डिजीटल इंडिया तथा कैशलेश लेन-देन को बढ़ावा देने हेतु अनुकरणीय पहल करते हुये इलेक्ट्रानिक भुगतान की सुविधा सुनिश्चित की गयी है। रायपुर NWFP मार्ट में आम जनता की सुविधा के लिये आयुर्वेद चिकित्सक की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।

4.4 प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण

स्व-सहायता समूहों, प्रबंधकों एवं जिला यूनियन के अधिकारी / कर्मचारी हेतु वन वृत्त स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही वनौषधालय के वैद्यों, शहद संग्राहकों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन प्रस्तावित है।

संघ मुख्यालय, जिला यूनियन तथा प्राथमिक लघु वनोपज समिति के निर्वाचित सदस्यों, समिति प्रबंधकों के लिये देश के विभिन्न राज्यों में जहाँ अकाष्ठीय वनोपज संबंधी गतिविधियां संचालित है, में FRLHT बैंगलोर के सहयोग से अध्ययन प्रवास भी कराया जा रहा है।

स्व-सहायता समूहों, संयुक्त वन प्रबंधन समिति सदस्यों, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति सदस्यों, जिला यूनियन के अधिकारी / कर्मचारी के लिये एक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका **'जीविकोपार्जन कार्यों के बढ़ावा हेतु हितग्राहियों का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण' "SKILL DEVELOPMENT OF BENEFICIARIES FOR THE PROMOTION OF LIVELIHOOD ACTIVITIES"** तैयार कर दिनांक 13.08.2017 को संयुक्त वन प्रबंधन एवं प्राथमिक वनोपज समितियों का महा सम्मेलन 'वन मड़ई 2017' के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी के कर कमलों से विमोचन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी के 5000 दिवस के कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पर जनाधार वन - धन आजीविकाओं का विस्तार विषय पर एक 'स्मारिका' भी जारी की गयी, जिसमें

पृष्ठ क्र. 19 से 28 तक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों का सचित्र उल्लेख है।

सम्पूर्ण वर्ष में किये जाने वाले प्रशिक्षण के लिये एक ट्रेनिंग कलैण्डर तैयार किया गया है।

5. आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान

भारत सरकार आदिवासी मामलों का मंत्रालय नई दिल्ली से संघ को अनुदान के रूप में वर्ष 2004-05 से वर्ष 2015-16 तक राशि रू. 1691.00 लाख प्राप्त हुई है। उक्त राशि से वनोपज के भंडारण हेतु जिला यूनियन खैरागढ़, राजनांदगाँव एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर में बड़े गोदाम एवं जिला यूनियन राजनांदगॉव (मानपुर), बलरामपुर (रामानुजगंज), पश्चिम भानुप्रतापपुर (पखांजुर), बीजापुर (बीजापुर) एवं सुकमा (दोरनापाल) में मध्यम क्षमता के गोदाम निर्माण कराया गया।

(xvi) प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों के पारिश्रमिक में वृद्धि

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मानदेय प्रतिमाह रूपये 8450/- से बढ़ाकर रूपये 10,000/- प्रतिमाह दिनांक 01.07.2016 से किया गया है।

तत्पश्चात प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का परिश्रमिक में वृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई घोषणा के संदर्भ में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मासिक पारिश्रमिक रूपये 10,000/- से बढ़ाकर रूपये 12,500/- करने का प्रस्ताव भेजा गया है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - क

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित हेतु स्वीकृत/भरे पदों की जानकारी

अ.क.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
3	महा प्रबंधक (वन संरक्षक)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
4	उप महा प्रबंधक (उप वन संरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	0	2	6	4	2	30	16	14	38	20	18
10	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
14	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	वन क्षेत्रपाल	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
17	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0
18	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
19	कर सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	आंतरिक अंकेक्षण	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
21	शीघ्रलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
22	अधीक्षक	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	2
23	लेखा अधीक्षक	4	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2	2
24	वरिष्ठ लेखापाल	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25	लेखापाल	4	5	-1	6	5	1	27	19	8	37	29	12
26	कनिष्ट लेखापाल	7	5	2	0	0	0	21	16	5	28	21	7
27	डाटा एन्ट्री आपरेटर	7	7	0	6	5	1	31	27	4	44	39	5
28	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30	सहायक वर्ग-3/स्वागतकर्ता	21	15	6	6	6	0	61	38	23	88	59	29
31	वाहन चालक	12	9	3	3	3	0	19	11	8	34	23	11
32	दफ्तरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
33	संदेशवाहक	17	10	7	12	9	3	48	29	17	77	48	27
34	संदेशवाहक (सांख्येतर)	0	0	0	0	0	0	37	33	4	37	33	4
35	चौकीदार (कलेक्टर दर)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग :-	109	75	34	39	32	7	464	369	93	612	476	138

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण			
			लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में संग्रहित एवं क्रेता को परिदत्त मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
1	2	3	4	5	6	7
बीजापुर	39	61300.000	38	67288.176	708598556.36	10530.80
सुकमा	48	88700.000	48	98018.519	738395767.11	7533.23
दंतेवाड़ा	13	26800.000	13	34898.906	234778748.18	6727.40
जगदलपुर	15	25600.000	15	26436.509	140061875.37	5298.05
दक्षिण कोंडागांव	11	22100.000	11	23168.910	148919451.98	6427.56
केशकाल	16	30700.000	16	30088.035	181474522.92	6031.45
नारायणपुर	12	22100.000	12	24951.870	160514796.47	6432.98
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	101400.000	56	98341.995	860863292.30	8753.77
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	83900.000	55	82890.510	601025551.41	7250.84
कांकेर	24	41600.000	24	37791.090	328440049.07	8690.94
राजनांदगांव	51	88700.000	51	85665.610	722274082.55	8431.32
खैरागढ़	24	44900.000	24	46059.970	319527882.84	6937.21
बालोद	18	28500.000	18	28318.475	227731733.04	8041.81
कवर्धा	24	41900.000	24	43233.760	311442685.47	7203.69
धमतरी	23	31600.000	23	26273.385	210466278.80	8010.63
गरियाबंद	62	90100.000	62	83956.200	777178717.25	9256.95
महासमुंद	69	100700.000	69	94896.800	769645149.80	8110.34
बलौदा बाजार	16	26500.000	16	24933.750	195166068.72	7827.39
बिलासपुर	21	31500.000	21	33227.055	255825235.82	7699.31
मरवाही	14	21500.000	14	22530.075	180475919.61	8010.44
जांजगीर-चांपा	7	10000.000	7	10901.270	62901986.30	5770.15
रायगढ़	41	63800.000	41	58826.675	475183238.86	8077.68
धरमजयगढ़	53	83100.000	53	82378.115	756780224.34	9186.67
कोरबा	34	54100.000	34	52912.240	497736625.94	9406.83
कटघोरा	39	76900.000	39	81729.965	697658755.20	8536.14
जशपुर नगर	20	37200.000	20	38775.660	291736829.40	7523.71
मनेन्द्रगढ़	20	37500.000	20	47126.435	379896596.07	8061.22
कोरिया	16	30600.000	16	34212.680	289853003.67	8472.09
सरगुजा	15	33700.000	15	39034.610	296902194.41	7606.13
बलरामपुर	64	148200.000	64	169462.655	1129782203.92	6666.85
सूरजपुर	30	78600.000	30	81646.565	635288675.52	7780.96
कुल योग	950	1663800.000	949	1709976.470	13586526698.70	7945.45

<u>परिशिष्ट 'ग-1'</u>

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत वर्षवार संग्रहित वनोपज की जानकारी

वर्ष 2014-15

क्रमांक	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर प्रति किलोग्राम (रू. में)	संग्रहण के आधार पर संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रू. लाख में)
1.	सालबीज	125700.080	10.00	1257.00
2.	हर्रा	34645.450	11.00	381.10
3.	इमली	35445.650	22.00	779.80
	योग			2417.90

वर्ष 2015-16

क्रमांक	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर प्रति किलोग्राम (रू. में)	संग्रहण के आधार पर संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रू. लाख में)
1.	सालबीज	111982.610	10.00	1119.83
2.	हर्रा	57126.900	11.00	628.40
3.	इमली	893.610	22.00	19.66
4.	चिरौंजी	6329.280	100.00	632.93
5.	महुआ बीज	4879.229	22.00	107.34
6.	कुसमी लाख	3266.315	320.00	1045.22
7.	रंगीनी लाख	1307.204	230.00	300.66
	योग			3854.04

वर्ष 2016-17

क्रमांक	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर प्रति किलोग्राम (रू. में)	संग्रहण के आधार पर संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रू. लाख में)
1.	सालबीज	2807.580	10.00	28.08
2.	हर्रा	3097.110	8.00	24.78
3.	चिरौंजी	6902.483	100.00	690.25
4.	महुआ बीज	50.700	22.00	1.12
5.	कुसमी लाख	3687.770	320.00	1180.09
6.	रंगीनी लाख	1095.306	230.00	251.92
	योग			2176.24

वर्ष 2017-18 (दिनांक 31.08.2017 की स्थिति में)

क्रमांक	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर प्रति किलोग्राम (रू. में)	संग्रहण के आधार पर संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रू. लाख में)
1.	सालबीज	129776.540	10.00	1297.77
2.	चिरौंजी	136.170	60.00	8.17
3.	महुआ बीज	1229.910	20.00	24.60
4.	कुसमी लाख	20.370	150.00	3.06
5.	रंगीनी लाख	166.440	100.00	16.64
	योग			1350.24
	महायोग	वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18		9798.42

<u>परिशिष्ट 'ग-2'</u>

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत क्रय/विक्रय एवं अनुमानित लाभ/हानि पत्रक

(मात्रा क्विंटल में, राशि रू. करोड़ में)

क्रमांक	लघु वनोपज का नाम	वर्ष	संग्रहित मात्रा	विक्रित मात्रा	सूखत / कमी की मात्रा	प्रसंस्करण हेतु मात्रा का उपयोग	कुल संग्रहित वनोपज का क्रय मूल्य (Overhead साहित)	विकित वनोपज का क्रय मूल्य (Overhead साहित)	कुल विक्रय मूल्य	लाभ/(हानि)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-9)	
1	सालबीज	2014	1,25,676.050	1,24,778.165	897.885	-	14.91	14.91	16.57	1.66	(5.79)
		2015	1,11,982.610	1,11,704.160	278.450	-	13.28	13.28	5.85	(7.43)	
		2016	2,807.580	2,807.580	-	-	0.33	0.33	0.31	(0.02)	
2	हर्रा	2014-15	34,644.720	34,178.260	466.460	-	4.40	4.40	1.56	(2.84)	(6.83)
		2015-16	57,126.900	57,073.160	-	-	7.26	7.25	3.32	(3.93)	
		2016-17	3,087.760	2,390.860	-	-	0.30	0.23	0.17	(0.06)	
3	इमली	2014-15	35,445.650	35,445.650	-	-	8.99	8.99	8.64	(0.35)	(0.29)
		2015-16	893.610	891.500	-	-	0.23	0.23	0.29	0.06	
4	कुसमी लाख	2015	3,336.636	3,326.546	10.090	-	11.18	11.18	2.27	(8.91)	(15.02)
		2016	3,506.339	3,380.269	-	208.320	11.75	11.33	5.22	(6.11)	
5	रंगीनी लाख	2015	1,400.488	1,384.688	15.800	-	3.41	3.41	0.71	(2.70)	(4.40)
		2016	1,011.066	972.256	-	103.000	2.46	2.37	0.87	(1.50)	
		2017	132.015	132.015	-	-	0.32	0.32	0.12	(0.20)	
6	चिरौंजी गुठली	2015	6,329.280	6,323.780	5.500	-	6.64	6.64	2.18	(4.46)	(9.73)
		2016	7,754.243	7,719.243	-	-	8.13	8.10	2.83	(5.27)	
7	महुआ बीज	2015	4,856.229	4,835.479	-	-	1.17	1.17	0.96	(0.21)	(0.21)
		2016	50.700	50.700	-	-	0.12	0.01	0.01	-	
		योग:-	4,00,041.876	3,97,394.311	1,674.185	311.320	94.88	94.15	51.88		(42.27)
		प्रतिशत % :-		99.34%	0.42%	0.08%					44.90%
									कुल लाभ		1.72
									कुल हानि		(43.99)
									शुद्ध हानि		(42.27)

नोट - 1. लाभ / हानि की गणना विक्रित मात्रा एवं उस पर किये गये व्यय के आधार पर की गई है।

2. व्यय की गणना मानकीकरण के आधार पर की गई है।

मूलभूत सुविधा हेतु वर्ष 1998 से 2007 तक उपलब्ध राशि

(राशि रू. लाख में)

क.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 1998 से 2007 तक		
		मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत)	जिला यूनियन द्वारा कराये गये कार्यों की राशि	जिला यूनियन द्वारा राशि के कार्य कराने के शेष (3-4)
1	2	3	4	5
1	सूरजपुर	356.09	333.32	22.77
2	बलरामपुर	111.19	110.70	0.49
3	मनेन्द्रगढ़	245.96	244.08	1.88
4	कोरिया	213.06	169.81	43.25
5	सरगुजा	145.40	108.92	36.48
6	जशपुरनगर	64.41	60.57	3.84
7	धर्मजयगढ़	594.42	557.64	36.78
8	रायगढ़	336.56	312.86	23.70
9	मरवाही	180.00	140.62	39.38
10	कटघोरा	643.45	633.21	10.24
11	कोरबा	510.42	518.60	-8.18
12	जांजगीर–चांपा	5.49	3.04	2.45
13	बिलासपुर	44.37	40.70	3.67
14	महासमुन्द	657.58	574.15	83.43
15	बलौदाबाजार	242.89	166.81	76.08
16	धमतरी	318.30	255.36	62.94
17	गरियाबंद	877.00	836.00	41.00
18	कांकेर	334.91	185.29	149.62
19	उ. कोण्डागांव	132.20	92.92	39.28
20	द. कोण्डागांव	98.01	72.31	25.70
21	नारायणपुर	64.65	55.45	9.20
22	भानुप्रतापपुर	811.78	601.46	210.32
23	प. भानुप्रतापपुर	291.59	258.66	32.93
24	सुकमा	393.86	321.35	72.51
25	बीजापुर	433.18	325.79	107.39
26	जगदलपुर	71.93	70.40	1.53
27	दन्तेवाड़ा	100.20	91.23	8.97
28	बालोद	190.70	127.39	63.31
29	कवर्धा	168.15	164.58	3.57
30	राजनांदगांव	570.23	540.08	30.15
31	खैरागढ़	189.63	107.72	81.91
	योग	9397.61	8081.02	1316.59

विषय क्रमांक - 3

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग-1 एवं वर्ग-2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।

(i) बीमा योजनायें एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजनायें

तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष है, के लिये सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना, तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष है, के लिये आम आदमी (जनश्री) बीमा योजना के स्थान पर दिनांक 01.06.2017 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) लागू करने का निर्देश केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है। इस नवीन बीमा योजना अंतर्गत संग्राहक परिवार के मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये तथा आकस्मिक मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा। तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाऐं वर्ष 2018-19 में भी लागू रहेगी।

(ii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा

संचालक मण्डल की 68वीं बैठक दिनांक 17.01.2017 के प्रस्ताव क्रमांक 68:21 में प्रबंधकों के बीमा राशि रूपये 1.00 लाख के पारित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में एवं छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की अनुमति उपरान्त तथा सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्ति उपरान्त प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का बीमा दिनांक 18.05.2017 से भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय की समूह बीमा पालिसी नम्बर 305001496 से राशि रूपये 75,000/- का बीमा कराया गया है जो दिनांक 18.05.2017 से 17.05.2018 तक (एक वर्ष हेतु) मान्य होगा। बीमित प्रबंधक की मृत्यु की दशा में उनके नामित को रूपये अतिरिक्त राशि रूपये 75,000/- उपलब्ध हो सकेगा।

वर्ष 2017-18 में इस योजना के अंतर्गत 825 समिति प्रबंधको का बीमा कराया गया है। वर्ष 2018-19 हेतु समिति प्रबंधकों को पुनः प्रबंधक समूह बीमा का नवीनीकरण कराया जावेगा।

(iii) राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार

तेन्दूपत्ता - तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2017 एवं पूर्व के वर्षो के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2018 में कुल 950 लाटों में लगभग 16.638 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। अनुमानित तेन्दूपत्ते का अग्रिम विक्रय आनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करके की जावेगी। तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल रू. 300 करोड़ के संग्रहण पारिश्रमिक के वितरण का अनुमान है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण एवं विक्रय के संबंध में पूर्व जारी व्यवस्थाएं प्रचलित रहेंगी।

(iv) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना

योजना अंतर्गत प्रदेश में सालबीज, हर्रा, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली, कुसुमी लाख एवं रंगीनी लाख का संग्रहण कर विक्रय की कार्यवाही की जावेगी। योजना पर रु. 80 करोड़ व्यय का अनुमान है।

(v) वर्ष 2016 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2016 में तेन्दूपत्ता का परिदान उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि जो लगभग रु. 260 करोड़ होती है, का वितरण शासन के अनुमोदन उपरांत तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि के रूप में किया जावेगा।

(vi) तेन्दू पत्ता व्यापार की विशुद्ध आय के 15 प्रतिशत की राशि से अराष्ट्रीयकृत वनोपज का क्रय एवं लाख विकास

शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2008 से तेन्दू पत्ता व्यापार की विशुद्ध आय के 15 प्रतिशत की राशि सहकारी समितियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज के क्रय-विक्रय, भण्डारण, प्रसंस्करण, उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन एवं लाख पालन हेतु उपलब्ध करायी जावेगी।

(vii) तेन्दू पत्ता संग्राहकों को चरणपादुका का वितरण

शासन की स्वीकृति उपरान्त वर्ष 2018-19 में वितरित की जाने वाली चरणपादुकाओं को क्रय कर वितरण की कार्यवाही शासन के निर्देशानुसार किया जावेगा। इस योजना पर रु. 25 करोड़ व्यय का अनुमान है।

(viii) आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान

आदिवासी मामलों के मंत्रालय भारत शासन, नई दिल्ली से प्राप्त राशि रू. 2.32 करोड़ से गोदाम निर्माण व लघु वनोपज के उपार्जन / प्रसंस्करण कार्य कराया गया। वर्ष 2018-19 हेतु रु. 3 करोड़ व्यय का अनुमान है।

(ix) लाख विकास योजना

अधिक से अधिक हितग्राहियों को सम्मिलित करते हुये लाख पालन क्षेत्रों का विस्तार करने लाख विकास योजना मद (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) अंतर्गत वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित राशि रू. 3.66 करोड़ से लाख विकास संबंधी कार्य कराये जावेंगे।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के तहत स्वीकृत लाख पालन एवं प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राईजेस के तहत वर्ष 2018-19 में परियोजना की शेष राशि रू. 3.74 करोड़ से अवशेष कार्य संपादित किया जाना है।

(x) लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

वर्ष 2018-19 में प्रदेश के विभिन्न जिला यूनियनों में प्रति जिला यूनियन 200 से 500 हेक्टेयर तक के 10 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का कार्य किया जावेगा साथ ही विगत वर्षो के स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों के रख-रखाव का कार्य भी किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद से राशि रू. 353.00 लाख (प्रस्तावित) एवं संघ मद से रू. 615.60 लाख का प्रावधान लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए रखा गया है।

विषय क्रमांक - 4

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये बजट की स्वीकृति।

वर्ष 2018-19 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित हैः-

अनुमानित व्यय

(अ) लघु वनोपज संग्रहण अनुमानित व्यय

अ. क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रू.लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2018	16.638	लाख मानक बोरा	2700.00 प्रति मानक बोरा	44,922.600
	योग					**44,922.600**

(ब) लघु वनोपज / औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय-

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	300.00
2.	लाख विकास योजना	366.00
3.	पी.पी.ए. आदिवासी उपयोजना मद	353.00
4.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	374.00
5.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	2,500.00
6.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	1,565.00
7.	न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना	8,000.00
8.	संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से "छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना"	524.00
	योग	**13,982.00**

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (रु. लाख में)

अ.क्र.	संशोधित मद	वर्ष 2016-17 स्वीकृत बजट	वर्ष 2016-17 वास्तविक व्यय	वर्ष 2017-18 स्वीकृत बजट	वर्ष 2017-18 दिनांक 31.07.17 तक का वास्तविक व्यय	वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्ताव
1.	वेतन एवं भत्ते	400.00	391.22	400.00	129.76	450.00
2.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	30.00	24.79	25.00	8.61	30.00
3.	यात्रा भत्ता	15.00	8.18	5.00	5.43	20.00
4.	अन्य भत्ते	11.00	9.68	15.00	4.02	20.00
5.	ई.पी.एफ. अंशदान	50.00	58.63	50.00	20.24	70.00
6.	पेंशन अंशदान	40.00	37.42	40.00	12.12	50.00
7.	ग्रेज्युटी (उपादान)	50.00	28.32	50.00	0.00	50.00
8.	सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण (उपादान)	50.00	46.66	60.00	0.00	60.00
9.	कर्मचारी बोनस	1.00	0.00	1.00	7.41	20.00
10.	स्टेशनरी आदि क्रय	15.00	5.82	15.00	1.01	15.00
11.	किताब पत्रिका क्रय			35.00	0.03	10.00
12.	फोटोकापी एवं छपाई व्यय			15.00	0.79	15.00
13.	पोस्टेज	10.00	3.74	2.00	0.00	2.00
14.	टेलीफोन			5.00	1.22	5.00
15.	भवन किराया	20.00	18.52	15.00	4.70	20.00
16.	बिजली एवं पानी व्यय			10.00	2.56	10.00
17.	विज्ञापन एवं निविदा व्यय	100.00	55.61	50.00	5.31	50.00
18.	प्रचार-प्रसार			35.00	1.50	35.00
19.	अतिथि सत्कार, बैठक आयोजन पर व्यय	5.00	4.32	30.00	0.61	15.00
20.	वाहन मरम्मत व्यय	20.00	16.76	15.00	3.26	15.00
21.	वाहन ईन्धन व्यय			15.00	4.50	15.00
22.	वाहन बीमा एवं अन्य व्यय			10.00	1.03	10.00
23.	प्रशिक्षण	50.00	0.98	30.00	0.00	20.00
24.	फर्नीचर मरम्मत	18.00	14.95	20.00	0.08	20.00
25.	विविध व्यय			10.00	3.30	10.00
26.	अंकेक्षण शुल्क	45.00	1.50	25.00	31.30	10.00
27.	न्यायालयीन/विधिक व्यय	5.00	3.26	10.00	1.01	10.00
28.	घसारा (डेप्रिशियेसन)	250.00	150.00	200.00	0.00	200.00
29.	विभिन्न भवनों, परिसरों का रख रखाव	10.00	4.33	7.00	2.58	7.00
30.	कम्प्यूटर/प्रिंटर/अन्य उपकरण मरम्मत			7.00	0.31	7.00
	योग	**1195.00**	**884.69**	**1207.00**	**252.69**	**1271.00**

वर्ष 2016-17 में ई.पी.एफ. अंशदान मद में स्वीकृत बजट रु. 50.00 लाख के विरुद्ध रु. 58.63 लाख व्यय हुआ जिसकी स्वीकृति प्रस्तावित है। वर्ष 2017-18 में अंकेक्षण शुल्क मद में स्वीकृत बजट रु. 25.00 लाख है जिसे रु. 83.00 लाख संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

(द) पूंजीगत व्यय (रु. लाख में)

अ.क्र.	संशोधित मद	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19
		स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	स्वीकृत बजट	दिनांक 31.07.17 तक का वास्तविक व्यय	का बजट प्रस्ताव
1.	भवन निर्माण एवं विशेष मरम्मत (गोदाम, कार्यालय, आवासीय एवं प्रसंस्करण केन्द्र)	1500.00	6.57	3500.00	0.00	2500.00
2.	शासकीय ऋण का भुगतान		0.00	500.00		500.00
3.	अंशपूंजी क्रय		0.00	100.00		100.00
4.	वाहन क्रय	100.00	46.70	100.00	0.00	100.00
5.	फर्नीचर, उपस्कर, आंतरिक साज-सज्जा क्रय	100.00	12.36	200.00	1.95	200.00
6.	कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण क्रय (संघ ऑफिस का डिजिटलाइजेशन)			75.00	0.00	75.00
7.	कार्यालयीन उपकरण क्रय			50.00	0.00	50.00
8.	कर्मचारी कल्याण निधि	----	----	0.00	----	0.00
	योग	**1700.00**	**65.63**	**4525.00**	**1.95**	**3525.00**

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2018-19 में वनोपज की बिक्री से रू. 1,14,802.200 लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है:-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता	1,14,802.200
	योग	**1,14,802.200**

उपरोक्त तालिका में दर्शायी आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	**तेन्दू पत्ता** वर्ष 2018 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 16.638 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.638 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 7000/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90% राशि	1,04,819.400
2.	वर्ष 2019 सीजन के हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.638 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 6000/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	9,982.800
	योग	**1,14,802.200**

(ब) विविध आय

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	वनोपज व्यापार से प्राप्त विविध आय	2,500.00
2.	संघ की पूंजी (शीड केपीटल) के विनियोजन से प्राप्त आय	516.00
	योग	**3,016.00**

(स) लघु वनोपज / औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	300.00
2.	लाख विकास योजना	366.00
3.	पी.पी.ए. आदिवासी उपयोजना मद	353.00
4.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	374.00
5.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	2,500.00
6.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	1,565.00
7.	न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना	8,000.00
8.	संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से ''छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना''	524.00
योग		**13,982.00**

प्रारंभिक स्कन्ध

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	0.000
3.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	0.000
	योग	**0.000**

अंतिम स्कन्ध का मूल्य

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता	0.000
2.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	0.000
3.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	0.000
	योग	**0.000**

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रूपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	1,14,802.200
2.	विविध आय	3,016.000
3.	लघु वनोपज / औषधि पौधों के विकास के लिये प्राप्त राशि	13,982.000
4.	अंतिम स्कन्ध का मूल्य	0.000
	महायोग	**1,31,800.200**

अ.क्र.	व्यय	राशि (रूपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	44,922.600
2.	कार्यालयीन व्यय	1,271.000
3.	पूंजीगत व्यय	3,525.000
4.	लघु वनोपज / औषधि पौधों के विकास एवं विपणन पर व्यय	13,982.000
5.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	0.000
6.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय / विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	67,583.600
	महायोग	**1,31,284.200**

आधिक्य (लाख में)

कुल आय	**1,31,800.200**
कुल व्यय	**1,31,284.200**
संघ का शुध्द लाभ	**516.000**

अनुपूरक बजट मद का प्रस्ताव वर्ष 2017-2018

1. मद का नाम- यात्रा भत्ता- यात्रा भत्ता मद में वर्ष 2017-18 हेतु स्वीकृत राशि रू. 5.00 लाख प्रावधानित है जो कि संघ मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रवास हेतु स्वीकृत की गई थी। माह नवम्बर-2016 में लघु वनोपज संघ रायपुर के निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक सदस्यों द्वारा पदभार ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप इस मद में वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने की संभावना है। संचालक सदस्यों के यात्रा हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक वनो/संघ/सह./2017/3585 दिनांक 27.03.2017 द्वारा यात्रा हेतु वाहन किराये पर लेने संबंधी निर्देश जारी किये गये है जो कि संघ के उपाध्यक्ष एवं संचालक सदस्यों हेतु जारी किये गये है। अध्यक्ष संघ हेतु सीमा का निर्धारण नहीं है। उक्त निर्देशों के अनुरूप संम्भावित वार्षिक व्यय का विवरण निम्नानुसार है-

अनु. क्र.	पद नाम एवं संख्या		वाहन किराये की पात्रता (मासिक)				यात्रा भत्ता (मासिक)	मासिक योग	अनुमानित वार्षिक व्यय
			दिवस	कि.मी.	दर	मासिक योग			
1	उपाध्यक्ष	1	11	2700	14	37,800.00	10,000.00	47,800.00	5,73,600.00
2	संचालक	4	9	2200	14	1,23,200.00	32,000.00	1,55,200.00	18,62,400.00
योग						**1,61,000.00**	**42,000.00**	**2,03,000.00**	**24,36,000.00**

अध्यक्ष संघ को मासिक वाहन किराये पर लेने की प्रात्रता है। अतः उक्तानुसार संभावित मासिक यात्रा 6000-7000 किलो मीटर की जा सकती है। अतः 7000 कि.मी. यात्रा हेतु प्रति कि.मी. 14 रूपये की दर से राशि 98,000.00 वाहन किराया एवं यात्रा भत्ता की मासिक राशि लगभग रू. 20,000.00 इस प्रकार कुल मासिक व्यय 1,18,000.00 एवं वार्षिक व्यय 14,16,000.00 होने का अनुमान है। अतः इस मद में वर्ष 2017-18 हेतु संघ के अधिकारियों / कर्मचारियों के यात्रा भत्ता को जोड़कर अतिरिक्त राशि रूपये 45 लाख का बजट आंवटन का प्रस्ताव प्रस्तावित है।

2. मद का नाम - बोनस- वर्ष 2017-18 हेतु राशि रूपये 1 लाख स्वीकृति दी गई थी किन्तु छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक 1595/339/2017/10-2/बजट रायपुर दिनांक 01.04.2017 के अनुसार संघ मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि (15 दिवस के मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन सहित) के बराबर प्रदाय के निर्देश दिये गये है। जिसमें 31 जुलाई तक 2017 तक राशि रूपये 7.41 लाख भुगतान की गई है। अतः इस मद में अतिरिक्त राशि रूपये 7.00 लाख का बजट आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तावित है।

वर्ष 2017-18 के लिये अनुपूरक बजट मद का प्रस्ताव आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के नवीन मदों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव

1. मद का नाम- सम्मेलन व्यय - माननीय वन मंत्री छ.ग शासन द्वारा दिनांक 04.08.2017 को लिये गये वन अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लघु वनोपज संघ से संबंधित विषय के अर्तगत प्राथमिक वनोपज समितियों का महा सम्मेलन दिनांक 13.08.2017 को किये जाने से संबंध में निर्देश दिये गये। जिसमें प्राथमिक वनोपज समितियों को संघ की नीतियो एवं शासन के नीतियों के प्रति जागरूकता व शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के संबंध में प्रशिक्षण दिये जाने का निर्देश दिया गया। इस महा सम्मेलन में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियो के पदाधिकारी एवं सदस्यों को आमंत्रित किया गया। महा सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री छ.ग के अतिरिक्त अन्य मंत्रीगण को भी आमंत्रित किया गया। जिनके द्वारा अपने विभाग से संबंधित शासकीय योजनाओं पर संबोधन किया गया। इस महा सम्मेलन में प्रदेश के दूरस्थ स्थानों से लगभग 40000 संग्राहक सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया जिस पर लगभग 200 लाख व्यय की संभावना है।

चूंकि इस प्रकार के आयोजन हेतु वर्ष 2017-18 में व्यय मद उपलब्ध नहीं है। अतः वर्ष 2017-18 हेतु नवीन मद ''सम्मेलन व्यय'' के अंतर्गत राशि रूपये 200 लाख के आंबटन का प्रस्ताव प्रस्तावित है।

2. मद का नाम- उत्कृष्टता सम्मान पुरस्कार - संचालक मंडल की 69 वीं बैठक दिनांक 20.03.2017 के प्रस्ताव 69.08 के निर्णय अनुसार प्रतिवर्ष लघुवनोपज प्रबंधन, विकास, व्यापार, संरक्षण, विनाश विहीन विदोहन, गुणवता सुधार, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन आदि क्षेत्रो में किये गये उत्कृष्ट कार्यो एवं नवाचार करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने हेतु निम्न विवरण अनुसार नगद राशि भुगतान किया जाना है:-

अनु. क्र.	पात्र अधिकारी / कर्मचारी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1.	जिला वनोपज सहकारी यूनियन	1	1.00	1.00
2.	प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन	1	0.25	0.25
3.	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	6	0.25	1.50
4.	उप प्रबंध सचांलक उप प्रबंधक	2	0.18	0.36
5.	समिति प्रबंधक	24	0.12	2.88
6.	पोषक अधिकारी	24	0.12	2.88
7.	फडमुंशी	90	0.05	4.50
	योग			**13.37**

उक्तानुसार सम्मान पुरस्कार वितरण पर संभावित व्यय 4.00 लाख को जोड़कर वर्ष 2017-18 के उत्कृष्टता सम्मेलन पुरस्कार मद में कुल राशि 18 लाख बजट आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तावित है।

वर्ष 2017-18 के लिये अनुपूरक बजट मद का प्रस्ताव आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

विषय क्रमांक - 5

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं 901 प्राथमिक वनोपज समितियों से संबद्ध है। लघु वनोपज के व्यापार एवं संग्राहकों के विकास आदि कार्य हेतु जिला यूनियनों को राशि अग्रिम के रूप में प्रदाय किया जा कर वर्षांत में समस्त आय-व्यय का लेखा प्राप्त कर संघ के वित्तीय पत्रकों को अंतिम दिया जा कर अंकेक्षण कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में समस्त 31 जिला यूनियनों से प्राप्त आय-व्यय पत्रक के आधार पर संघ के अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रक संचालक मण्डल के अनुमोदन उपरांत आमसभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

AGENCY TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2016-17

TENDU LEAVES

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		**7,56,49,713.67**	**By Sales**		**6,27,05,93,232.89**
Tendu Patta			*Tendu Patta*		
To Purchase		**2,20,63,62,910.92**			
Tendu Patta (Collection)			**By Direct Incomes**		**5,90,71,169.39**
To Direct Expenses		**57,08,57,055.87**	*Interest & Other Income*	5,53,08,388.34	
Rebate on T.P. Sale	4,41,41,988.70		*Mis. Income Through D.U.*	37,62,528.05	
Godown rent	57,500.00		*Stationary and Printing*	253.00	
Godown Insurance Premium	2,06,098.00				
Stationary & Printing (Tendu Patta Trade)			**By Closing Stock**		**9,41,64,073.99**
M.F.P.Insurance Premium	2,86,957.00		*Tendu Patta*		
MFP Pluckers Insurance Janshree Fed	2,02,12,293.00				
T.P.Collector's Group Insurance	3,73,36,000.00				
Establishment Expenses of Primary Societies	22,89,70,307.00				
Establishment & Adminst. Exp of D.U.	23,94,80,219.17				
Socitety Manager's Group Insurance	1,65,693.00				
To People's Protected Area (Fed. Head) Tendu Patta		**4,08,35,627.00**			
To Surplus		**3,53,01,23,168.81**			
TOTAL		**6,42,38,28,476.27**	**TOTAL**		**6,42,38,28,476.27**

SAL SEED

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		**94,22,140.80**			
Sal Seed					
To Purchase		**2,29,295.00**	**By Closing Stock**		**75,08,576.85**
Sal Seed Collection (Purchase)			*SalSeed*		
			By Loss		**21,42,858.95**
TOTAL		**96,51,435.80**	**TOTAL**		**96,51,435.80**

HARRA

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		35,11,181.26	By Sales		5,500.00
Harra			*Harra Sale*		
To Purchase		12,207.00	By Closing Stock		29,45,414.94
Harra Collection (Purchase)			*Harra*		
To Direct Expenses		110.00			
Rebate on Harra Sale			By Loss		5,72,583.32
TOTAL		35,23,498.26	TOTAL		35,23,498.26

GUM

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		6,78,681.26	By Sales		83,000.00
Gum			*Gum Sale*		
To Purchase		1,28,950.00			
Gum Collection (Purchase)					
To Direct Expenses		1,000.00	By Closing Stock		4,92,410.10
Rebate on Gum Sale			*Gum*		
			By Loss		2,33,221.16
TOTAL		8,08,631.26	TOTAL		8,08,631.26

GROSS SURPLUS SUMMARY OF NOTIFIED MINOR FOREST PRODUCE

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
Sal Seed Loss	21,42,858.95	Tendu Patta Surplus	3,53,01,23,168.81
Gum Loss	2,33,221.16		
Harra Loss	5,72,583.32		
To Gross Surplus	3,52,71,74,505.38		
TOTAL	3,53,01,23,168.81	TOTAL	3,53,01,23,168.81

(D.K. SHRIVASTAVA)
ASST. ACCOUNT OFFICER

(CA SURESH VERMA)
ASST. MANAGER (ACCTS)

(C.L. THAKUR)
MANAGER (FIN/ACCTS)

(KAUSHLENDRA KUMAR)
EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)

(MUDIT KUMAR SINGH)
MANAGING DIRECTOR

(C.A. ABHISHEK GUPTA)
AUDITOR

ASSOCIATES F-7, Hira Arcade New Bus Stand Pandri, Raipur Pin 492004 CHARTERED ACCOUNTANTS

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

AGENCY PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2016-17

PARTICULARS		AMOUNT	PARTICULARS		AMOUNT
TO ESTABLISHMENT EXPENSES		5,80,53,248.67	**BY GROSS SURPLUS B/F**		3,52,71,74,505.38
Salary & Wages	3,91,21,678.00		**BY INDIRECT INCOMES**		50,15,82,874.02
Group Gratuity Payment A/c	6,28,996.00		*Godown Rent Received*	22,63,493.00	
Group Leave Encashment Payment A/c	4,99,750.00		*Interest Earned on Group Gratuity A/c*	32,00,509.73	
Conveyance Exps.	60,687.00		*Interest Earned on Group Leave Encashment Sch- A/c*	26,84,272.24	
Group Gratuity Expenses A/c	3,89,966.72		*Received From MSP Project (2% Service Charge)*	1,28,02,758.94	
Group Leave Encashment Premium & Others A/c	1,91,893.95		*Bank Charges*	2,936.21	
E.P.F. Adminstrative Charges	9,92,500.00		*Interest Earned on FDR*	36,95,90,659.90	
Medical Expenses	24,79,445.00		*Interest Earned on FFD A/c*	8,75,26,499.00	
Travelling Expenses	8,17,972.00		*Interest Earned on Saving Bank*	2,34,01,297.00	
Orderly Expenses	9,67,849.00		*Misc. Received Under Information Rights*	2,958.00	
E.P.F (Contribution)	48,70,055.00		*House Rent Licence Fees [Fed.]*	77,145.00	
Pension Contribution	37,42,501.00		*Vehicle Charges Recovered*	23,736.00	
Vehicle Expenses	18,65,826.00		*Honorarium Exp*	6,600.00	
Vehicle Insurance Charge	69,736.00		*Misc Income*	9.00	
House office Rent to owner	13,54,393.00				
			BY INTEREST EARNED ON FEDERATION SEED CAPITAL (APEX BANK)	4,99,96,137.00	4,99,96,137.00
TO INDIRECT EXPENSES		9,45,911.00			
Expenses Related to Charan Paduka	2,59,841.00				
Interest Paid to Other	1,996.00				
Loss on Write off Vehicle	40,192.00				
Consumable Store	1,04,044.00				
Penalty/Fine	5,39,838.00				
TO MANAGERIAL EXPENSES		97,91,646.00			
Training	98,136.00				
AGM & BOD Meeting Expense	3,14,062.00				
Computer/printer/ Other Ins. Reparing	61,150.00				
Furniture Repairs	3,060.00				
Maintenance & Repair of Office Building	73,296.00				
Photocopy & Printing Exps.	2,47,785.00				

PARTICULARS		AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
Publicity Exps.	22,79,274.00			
Telephone Charges (New)	3,43,884.00			
Vehicle Others	4,060.00			
Stationery & Printing	3,23,682.00			
Books & Periodicals	7,551.00			
Computer Exp	2,99,388.00			
Postage & Telegram	20,558.00			
Electricity&Water Supply	5,03,115.00			
Advertisement Exp A/c	32,79,851.00			
Meeting Expenses	1,12,917.00			
Miscellaneous Expenses	14,92,228.00			
Vidhik Fees/litigation	3,25,649.00			
Gift \ Prize	2,000.00			
TO DIST.UNION COMMISSION	31.00	31.00		
TO DEPERICIATION CHARGES	1,40,11,913.00	1,40,11,913.00		
TO CONTRIBUTION TO APEX CO-OP. UNION	1,000.00	1,000.00		
TO AUDIT FEES	1,49,100.00	1,49,100.00		
TO CO-OPERATIVE ELECTION EXPENSES		0.00		
TO PAYABLE TO SOCIETY		3,94,58,04,528.73		
TO INCENTIVE WAGES	3,15,66,43,623.00			
TO SALE PURCHASE & PROCESSING OF NON-NATIONALIZED MFP	59,18,70,679.00			
TO REVOLVING FUND	19,72,90,226.73			
TO COMMISSION TO FEDERATION		1.00		
TO SURPLUS CARRY FORWARD TO FEDERATION P/L		4,99,96,137.00		
TOTAL		4,07,87,53,516.40	**TOTAL**	4,07,87,53,516.40

(D.K. SHRIVASTAVA)
ASST. ACCOUNT OFFICER

(CA SURESH VERMA)
ASST. MANAGER (ACCTS)

(C.L. THAKUR)
MANAGER (FIN/ACCTS)

(KAUSHLENDRA KUMAR)
EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)

(MUDIT KUMAR SINGH)
MANAGING DIRECTOR

(C.A. ABHISHEK GUPTA)
AUDITOR

MUKUNDA SHIVA & ASSOCIATES * CHARTERED ACCOUNTANTS * F-7, Hira Arcade New Bus Stand Pandri, Raipur Pin 492004

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

FEDERATION PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2016-17

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO NET PROFIT TRANSFERED TO BALANCE SHEET	4,99,96,138.00	BY SURPLUS B/F FROM AGENCY P/L ACCOUNT	4,99,96,137.00
		BY Agency Commission B/F from Agency P/L Ac	1.00
TOTAL	4,99,96,138.00	TOTAL	4,99,96,138.00

(D.K. SHRIVASTAVA)	(CA SURESH VERMA)	(C.L. THAKUR)	(KAUSHLENDRA KUMAR)	(MUDIT KUMAR SINGH)	(C.A. ABHISHEK GUPTA)
ASST. ACCOUNT OFFICER	ASST. MANAGER (ACCTS)	MANAGER (FIN/ACCTS)	EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)	MANAGING DIRECTOR	AUDITOR

MUKUNDA SHIVA & ASSOCIATES
F-7, Hira Arcade
New Bus Stand
Pandri, Raipur
Pin 492004
CHARTERED ACCOUNTANTS

C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2017

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
1000000000.00	AUTHORISED SHARE CAPITAL		1000000000.00				
	PAID UP SHARE CAPITAL		18,96,87,392.14		**FIXED ASSETS**		50,65,02,252.59
4,37,22,122.14	*State Government*	4,37,22,122.14		33,75,25,084.78	*Godown & Building*	34,71,05,899.78	
32,000.00	*District Union*	32,000.00		3,74,14,677.00	*Land (Naya Raipur)*	3,74,14,677.00	
10,18,64,348.40	*State Government through NCDC (Old)*	10,18,64,348.40		1,39,37,304.67	*Vehicle (Assets)*	1,36,38,963.67	
54,47,622.40	*Social Justice & Empowerment*	54,47,622.40		1,55,47,598.36	*Furniture and Dead Stock*	1,68,60,137.36	
64,38,099.20	*Tribal & Minority Welfare*	64,38,099.20		1,06,29,380.60	*Computer & Computer Parts*	1,13,65,096.60	
3,21,83,200.00	*NCDC Godowns from C.G. Govt.*	3,21,83,200.00		1,78,17,349.18	*Office Machinery*	2,16,33,062.18	
				5,44,13,940.00	*Office Building (Work in Progress)*	5,50,70,910.00	
				0.00	*DU Office Building/Godown (Work in Progress)*	34,13,506.00	
	FUNDS & RESERVES		86,65,06,492.89		**INVESTMENT**		1,75,000.00
33,33,29,215.49	*General Reserves & Funds*	35,38,37,793.49		1,75,000.00	*Purchase of Share*	1,75,000.00	
5,23,53,214.45	*Reserve Funds*	6,22,31,546.72					
26,62,35,259.53	*Depreciation Funds*	27,98,81,133.53			**LIC (Group Grautity)**		4,34,72,555.74
1,60,20,916.95	*Inventory Loss Funds*	1,89,69,672.85		2,16,95,580.40	*Group Gratuity Contribution Fund*	2,35,78,705.68	
1,46,73,046.47	*Co-operative Training &Publicity funds*	1,76,21,802.37		1,66,93,340.33	*Interest Accrued From Group Gratuity Fund*	1,98,93,850.06	
3,03,53,176.78	*Share Capital Redemption Funds*	3,62,50,688.58					
44,66,724.64	*Co-op. Movement & Development Funds*	53,51,351.41			**LIC (Group Leave Encashment Fund)**		3,93,08,965.83
28,78,404.96	*Bad & Doubtful Debts Funds*	34,68,156.13		2,41,25,917.62	*Group Leave E. Contribution Fund*	2,81,98,913.67	
4,50,70,384.00	*Subsidy for Godowns From NCDC*	4,50,70,384.00		84,25,779.92	*Interest Accrued From Group Leave Encashment Contribution Fund*	1,11,10,052.16	
2,96,38,621.23	*Building Fund*	3,46,51,506.26					
78,45,517.39	*Vehicle Fund*	91,72,457.55			**LOANS & ADVANCES**		1,26,28,48,941.82
				26,36,021.60	*Nagrik Apurti Nigam*	26,36,021.60	
	LOANS		96,04,417.00	5,34,098.00	*Advance To Staff*	6,88,966.00	
46,42,860.00	*Margin Money Loan From M.P. Govt. (MP Bhopal)*	46,42,860.00		1,14,292.00	*Director Forest School Jagdalpur*	1,14,292.00	
49,36,657.00	*Godown Loan From Central Govt.(MP Bhopal)*	49,36,657.00		2,00,000.00	*DFO Raipur*	1,13,188.00	
24,900.00	*Godown Loan From N.C.D.C*	24,900.00		53,225.00	*Director Guru Ghansidas Nationak Park, Korea*	53,225.00	
				137.00	*CGCERT*	137.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	DEVELOPMENTAL PROJECTS		77,11,78,350.49	2,55,11,690.80	*Vaniki & Vanya Jeevan Project(10-2406-01-800)*	2,63,28,867.80	
4,20,69,622.00	*41-2406 Aadivasi Up yojana-5091(PPA)*	4,17,33,387.00		1,20,00,00,000.00	*Advance to State Government*	1,20,00,00,000.00	
7,22,57,193.23	*41-2406 Tribal Sub Plan 5231 Processing*	7,36,85,031.30		22,24,714.83	*Mulbhoot/Development of Forest and forest Produce*	3,29,14,244.42	
9,92,86,263.48	*European Commission Project [10-2406-6725]*	9,22,23,919.73		4,62,902.00	*M.S.P Account*	0.00	
2,25,00,000.00	*10-2406-6792 MFP Pluckers Gr. Ins. (Janshree)*	1,71,81,561.00					
28,58,824.00	*41-2406-6792 MFP Pluckers Gr. Ins. (Janshree)*	25,40,384.00			**GUNNY BAGS & HASSIAN BARDANA**		1,39,70,976.78
25,95,538.00	*Bastar Vikas Pradhikaran*	19,95,241.75		1,38,45,629.00	*Gunny Bags & Tarpoline(Bhopal)*	1,38,45,629.00	
15,76,608.00	*Sarguja/Jaspur Vikas Pradhikaran*	15,76,608.00		1,25,347.78	*Hassion Bardana (Bhopal)*	1,25,347.78	
45,55,974.70	*UNDP-CCF-1 Bio Diversity Conservation Project*	45,55,974.70					
4,04,42,867.00	*41-2406 Lac Development Project 6854*	5,72,22,609.00			**DUTIES & TAXES**		76,34,54,276.63
41,09,70,321.04	*Add Central Assistance Project (14-2406-102-5231)*	41,48,47,200.04		6,87,452.42	*Central Sales Tax*	6,87,452.42	
3,91,75,975.00	*Lac Cultivation Project (SGSY)*	3,83,07,938.00		18,31,390.75	*Income Tax (TCS)*	0.00	
4,71,371.30	*Tribal Co-operative Marketing Fed. Of India*	3,97,671.30		76,40,458.96	*VAT Receivable (2008-09)*	76,40,458.96	
49,80,954.50	*NATIONAL MEDICINAL PLANT BOARD (NMPB)*	49,80,954.50		58,85,55,104.91	*VAT*	53,73,44,766.26	
1,29,631.50	*Chhattisgarh Biofuel Vikas Pradhikaran*	45,005.50		17,27,93,491.39	*TAX DEDUCTED AT SOURCE RECEIVABLE*	21,77,81,598.99	
1,87,76,030.00	*State Govt. Project for Processing Centre-5231*	1,82,10,123.00					
15,64,291.60	*Campa Cold Storage Buildings A/c*	16,74,741.67		11,43,51,405.00	**INTEREST RECEIVABLE**	30,78,74,865.30	30,78,74,865.30
	OTHERS PAYABLE & PROVISIONS		20,26,54,722.44	1,57,633.00	**REPAYABLE RECOVERIES**	3,35,520.00	3,35,520.00
75,34,525.79	*Provision For Unadjusted Exp PPA*	75,34,525.79					
14,97,10,617.76	*Provision for People's Protected area(Federation Head)*	17,84,57,708.76		28,79,409.76	**Service Chages Receivable from MSP Project**	47,47,343.94	47,47,343.94
1,23,09,867.04	*Provision for Audit Fees*	1,24,39,067.04					
28,41,742.95	*Salseed Bonus Payable*	28,41,742.95			**CLOSING STOCK**		10,51,10,475.88
6,56,272.00	*Group Gratuity Payable Ac*	3,39,195.00		6,78,681.26	*Gum*	4,92,410.10	
1,43,969.00	*Group Leave Encachment Payable A/c*	1,43,969.00		35,11,181.26	*Harra*	29,45,414.94	
10,46,500.90	*Bills Payable*	8,80,473.90		7,56,49,713.67	*Tendu Patta*	9,41,64,073.99	
4,41,728.00	*G.S.L.I. Payment A/c*	18,040.00		94,22,140.80	*Sal Seed*	75,08,576.85	
2,68,612.00	*LCSA on Gratuity from LIC A/c*	0.00					
					F.D.R/C.D.R/S.D.R.		8,77,73,81,384.00
	DUTIES & TAXES		5,02,21,375.57	0.00	*FDR A/c (Andra Bank)*	44,85,00,000.00	
1,59,45,863.05	*Forest Development Cess*	4,17,72,497.14		67,44,47,382.00	*FDR A/c (Apex Bank) [Fed. Capital]*	71,46,06,384.00	
59,754.00	*Commercial Tax*	59,754.00		0.00	*FDR A/c (Axis Bank)*	4,95,00,000.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
3,18,840.78	*Entry Tax on Sale*	3,18,840.78		0.00	*FDR A/c (Bank of Baroda)*	15,89,00,000.00	
0.00	*Income Tax (TCS)*	80,70,283.65		2,61,50,00,000.00	*FDR A/c (Chhattisgarh Rajya Gramin Bank)*	60,00,00,000.00	
				50,00,00,000.00	*FDR A/c (Development Credit Bank)*	50,00,00,000.00	
	SUNDRY CREDITORS		1,15,83,33,107.95	0.00	*FDR A/c (HDFC Bank)*	1,60,00,00,000.00	
9,068.00	*F.R.L.H.T.*	9,068.00		1,50,00,000.00	*FDR A/c (ICICI Bank)*	0.00	
5,63,97,264.38	*Tendu Patta Purchasers*	5,63,97,273.38		0.00	*FDR A/c (Indus Ind Bank)*	4,95,00,000.00	
2,93,200.16	*Sal Seed Purchasers*	2,93,200.16		0.00	*FDR A/c (OBC)*	1,54,95,00,000.00	
14,17,609.05	*Harra Purchasers*	14,17,609.05		1,50,00,00,000.00	*FDR A/c (South Indian Bank)*	70,00,00,000.00	
3,70,524.72	*Gum Purchasers*	3,70,524.72		16,32,00,000.00	*FDR A/c (State Bank of India)*	0.00	
3,36,18,427.20	*Security Deposit other than M.F.P.*	1,07,62,107.20		15,75,000.00	*Flexible Fixed Deposit (B.O.B)*	10,75,000.00	
59,090.00	*TamilNadu Med.Plants and Herbal Med.Corp.*	59,090.00		66,000.00	*Flexible Fixed Deposit (SBI-5823)*	0.00	
2,40,562.00	*Tirumalla Tirupati Dev Sthanam , Tirupati*	2,40,562.00		1,44,00,00,000.00	*FDR A/c (Apex Bank)*	1,69,00,00,000.00	
1.53	*Charanpaduka Purchase A/c*	1.53		0.00	*FDR A/c (Central Bank)*	9,90,00,000.00	
0.00	*M.S.P Account*	21,94,134.00		25,37,00,000.00	*FDR A/c (P.N.B.)*	61,68,00,000.00	
49,83,85,364.03	*District Union Advance*	1,04,93,95,440.51					
4,74,70,614.40	*AXIS Bank (S) 910010017380589*	3,71,94,097.40			**BANK ACCOUNTS**		1,81,01,41,873.39
30,41,193.16	*P.N.B. M Br. 191933 (S)*	0.00			**CURRENT**		
				13,75,527.18	*ICICI BANK A/c No. 016105006260*	2,32,25,724.93	
				30,10,965.77	*P.N.B. A/c No. 0399005900000058 (C)*	4,07,15,696.16	
	PAYABLE TO SOCITIES(C.G.)		9,64,11,55,297.62	3,79,003.08	*State Bank of India 0753 (C)*	12,227.00	
3,74,70,89,610.09	*Incentive Wages to Pluckers C.G.*	5,81,80,84,992.49		7,63,687.31	*State Bank of India 30735345823 (C)*	7,31,251.81	
1,20,35,74,807.98	*Revolving Fund*	1,40,08,65,034.71		26,236.63	*State Bank of India A/c No.30781054157*	0.63	
1,85,56,02,152.42	*Sale purchase processing of Non-nationalised MFP*	2,42,22,05,270.42		500.00	*Apex Bank 1149 (C)*	500.00	
				84,356.00	*Bank of Baroda A/c No.05100200000482 (C)*	5,16,082.00	
	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL		73,45,05,969.87	20,89,774.75	*S.B. Indore 53015395443 (C)*	13,55,364.75	
5,99,86,647.28	*M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1 (Annexure -A)*	5,99,86,647.28		1,74,304.61	*Dena Bank 018811001093 (C)*	10,097.61	
41,02,60,025.99	*BIFURCATION DISPUTE WITH FED. BHOPAL A/c 2*	41,02,60,025.99					
26,42,59,296.60	*M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/C -3*	26,42,59,296.60			**SAVING**		
				13,74,51,650.68	*Axis Bank 44794 (S)*	8,73,35,921.68	
1,94,46,222.94	**SUSPENSE A/C**	1,20,77,290.94	1,20,77,290.94	8,21,744.00	*Axis Bank A/c No.913010014688171*	6,08,563.00	
				0.00	*Bank of Baroda A/c No. 45730100002094 (S)*	71,09,698.00	
1,98,56,14,115.91	**MSP Project related Liabilities (Annexure B)**	2,22,75,76,442.07	2,22,75,76,442.07	0.00	*Bank of Baroda A/c No. 45730100002401 (S)*	30,21,182.34	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
				4,52,569.11	*P.N.B. 3358 (S)*	6,40,40,223.18	
	FEDERATION PROFIT & LOSS A/C		17.00	17,12,702.92	*P.N.B. A/c No. 0101183276 (Campa)*	18,12,655.99	
16.00	*A. Profit of Fed. (in Previouse year)*	16.00		5,00,54,190.56	*P.N.B. M.Br.A/c No.399000101192414 (S)*	59,70,996.33	
	B. Profit of Current Year	4,99,96,138.00		51,22,805.17	*State Bank of India A/c No.31144628102 (S)*	36,28,469.20	
	Total	4,99,96,154.00		24,46,251.75	*State Bank of India A/c No.32084656047*	30,19,018.25	
	Less: Transfered to General Reserve Fund	4,99,96,137.00		1,22,810.00	*S.B. Indore 63011882888 (S)*	17,943.00	
				0.00	*P.N.B. M Br. 191933 (S)*	1,43,23,32,766.53	
				0.00	*Bank of Baroda A/c No. 45730100002093 (S)*	13,46,77,491.00	
				1,98,56,14,115.91	**MSP Project related Assets (Annexure B)**	2,22,75,76,442.07	2,22,75,76,442.07
					CASH/DD/CHEQUE-IN-HAND		6,00,002.01
				78,23,210.00	*DD/Cheque In Hand*	6,00,000.00	
				2.01	*Cash*	2.01	
12,14,47,81,863.49	**GRAND TOTAL**		15,86,35,00,875.98	12,14,47,81,863.49	**GRAND TOTAL**		15,86,35,00,875.98

Note :- 1- Certain receivable/Payable under CST/VAT from financial year 2007-08 onwards are not accounted for in the books of accounts as these receivable/payable are subject to final assessment by VAT authorities which are subject to judgement of Hon'ble Supreme Court wide order No. S.L.P (c) No. 12588/2011 dated 23-02-2012 and at present provision amount is not ascertainable.

2- Various account heads of M.P.MFP Fed, Bhopal are disclosed seperately in Balance sheet as liability in Annexure "A"

3- Balance of "Profit to Societies" related to 70:15:15 as per Balance Sheet dated 31-10-2000 received from M.P. Fed Bhopal the amount related to Provision of Development of Forest and Forest Produce for the year ended 1998,1999,2000 is not incorporated in corresponding ledgers.

4- Seperate Books of Accounts of M.S.P Project have been maintained trading profit transfered to Payable to MFP gatherers under MSP, trading loss have been transfered to Fund to meet losses account and net of all indirect income/expenses have been transfered to Revolving Fund of MSP . Details of Assets and Liabilities are shown seperately in Annexure "B"

Place: Raipur
Date: 20-09-2017

(D.K. SHRIVASTAVA)	(CA SURESH VERMA)	(C.L. THAKUR)	(KAUSHLENDRA KUMAR)	(MUDIT KUMAR SINGH)	(C.A. ABHISHEK GUPTA)
ASST. ACCOUNT OFFICER	ASST. MANAGER (ACCTS)	MANAGER (FIN/ACCTS)	EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)	MANAGING DIRECTOR	AUDITOR

C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "A" of Balance Sheet AS ON 31st MARCH' 2017

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
22,63,000.00	*Grant in Aid*	22,63,000.00	85,29,42,793.11	*Advance to Distt. Union(Bhopal)*	85,29,42,793.11
14,00,000.00	*M.F.P.Operation- Processing Units & Small Godowns*	14,00,000.00			
22,27,000.00	*NTFP Plantation (Medicinal Plants)*	22,27,000.00			
3,81,50,000.00	*Godown Assistance*	3,81,50,000.00			
30,57,321.00	*Subsidy for Godowns From TRIFED*	30,57,321.00			
6,00,000.00	*Subsidy for Small Godowns*	6,00,000.00			
9,38,96,542.04	*Provision for T.P.Trade & Administrative Charges (New)*	9,38,96,542.04			
23,52,776.68	*Provision for Harra Trade Expenses (New)*	23,52,776.68			
39,63,288.56	*Provision for Sal Seed Trade Expenses (New)*	39,63,288.56			
1,461.84	*Provision for Other Gum Trade Expenses (New)*	1,461.84			
2,024.00	*Provision for Kullu Gum Trade Expenses (New)*	2,024.00			
26,09,01,689.23	*Provision for T.P.Trade & Admin.Charges (Old)*	26,09,01,689.23			
3,50,956.43	*Provision for Mahua Trade Expenses*	3,50,956.43			
36,84,541.50	*Provision for Harra Trade Expenses (Old)*	36,84,541.50			
1,99,19,699.20	*Provision for Sal Seed Trade Expenses (Old)*	1,99,19,699.20			
5,09,30,873.30	*Incentive Wages to Pluckers (Bhopal)*	5,09,30,873.30			
9,88,14,052.72	*PROFIT TO SOCITIES (REORGANISATION) (70:15:15)*	9,88,14,052.72			
33,03,50,213.89	*ADVANCE FROM DISTT. UNION (BHOPAL)*	33,03,50,213.89			
64,000.00	*CASH IN TRANSIT*	64,000.00			
91,29,29,440.39	**GRAND TOTAL**	**91,29,29,440.39**	**85,29,42,793.11**	**GRAND TOTAL**	**85,29,42,793.11**

5,99,86,647.28 Net transfered to Balance Sheet as M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1 5,99,86,647.28

(D.K. SHRIVASTAVA) ASST. ACCOUNT OFFICER

(CA SURESH VERMA) ASST. MANAGER (ACCTS)

(C.L. THAKUR) MANAGER (FIN/ACCTS)

(KAUSHLENDRA KUMAR) EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)

(MUDIT KUMAR SINGH) MANAGING DIRECTOR

(C.A. ABHISHEK GUPTA) AUDITOR

MUKUNDA SHIVA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS F-7,Hira Arcade New Bus Stand Pandri, Raipur Pin 492004

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2016-17

SAL SEED

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	13,09,59,245.78	By Sales	6,12,11,598.15
To Purchase	28,07,580.00		
		By Interest & Other Income	11,32,794.88
To Direct Over Head Expenses	24,41,864.45	By Misc Income through DU	33,304.00
		By Closing Stock	61,41,160.51
To Service Charge Sal Seed	56,351.60		
		By Loss transfered to Fund to meet loss	6,77,46,184.29
TOTAL	13,62,65,041.83	TOTAL	13,62,65,041.83

HARRA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	4,82,65,721.69	By Sales	1,82,05,521.77
To Purchase	4,31,48,402.00	By Direct Incomes	34,370.50
		By Closing Stock	4,70,78,478.05
To Direct Expenses	49,67,924.38		
To Service Charge Harra	8,62,968.04	By Loss transfered to Fund to meet loss	3,19,26,645.79
TOTAL	9,72,45,016.11	TOTAL	9,72,45,016.11

IMLI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	6,93,71,995.71	By Sales	5,17,61,222.00
To Purchase	17,63,454.00	By Interest & Other Income	6,33,835.00
		By Closing Stock	1,98,16,388.88
To Direct Expenses	8,75,314.47		
To Service Charge IMLI	33,492.80		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	1,67,188.90		
TOTAL	7,22,11,445.88	TOTAL	7,22,11,445.88

MAHUA SEED

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,16,96,687.81	By Sales	90,53,299.70
To Purchase	1,11,540.00	By Interest & Other Income	27,852.00
To Direct Expenses	1,16,006.00	By Closing Stock	8,55,001.09
To Service Charge Mahua Seed	2,230.80	By Loss transfered to Fund to meet loss	19,90,311.82
TOTAL	1,19,26,464.61	TOTAL	1,19,26,464.61

CHIRONJI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	6,57,17,478.51	By Sales	2,94,75,807.66
To Purchase	5,73,91,820.00	By Direct Incomes	10,957.00
To Direct Expenses	18,49,284.00	By Closing Stock	3,85,13,019.38
To Service Charge Chironji	11,47,836.40	By Loss Transfered to Fund to meet loss	5,81,06,634.87
TOTAL	12,61,06,418.91	TOTAL	12,61,06,418.91

KUSUMI LAC

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	9,62,27,352.34	By Sales	4,43,94,161.26
To Purchase	10,92,22,387.00	By Direct Incomes	12,000.00
To Direct Expenses	9,79,868.44	By Closing Stock	6,73,35,163.20
To Service Charge Kusmi Lac	21,84,447.74	By Loss Transfered to Fund to meet loss	9,68,72,731.06
TOTAL	20,86,14,055.52	TOTAL	20,86,14,055.52

RANGINI LAC

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	2,97,75,067.04	By Sales	1,06,04,358.93
To Purchase	2,30,00,827.00		
		By Direct Incomes	2,207.00
To Direct Expenses	2,82,078.95		
		By Closing Stock	1,33,62,289.82
To Service Charge Rangini Lac	4,60,016.56		
		By Loss Transfered to Fund to meet loss	2,95,49,133.80
TOTAL	5,35,17,989.55	TOTAL	5,35,17,989.55

M.S.P. PROJECT INDIRECT INCOME / EXPENSES STATEMENT

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Bank Charges HO	563.93	By Interest Earned on FFD	2,26,08,235.00
To Rebate on Sale	32,772.00	By Interest Earned on FDR	7,91,21,917.91
To Auction Charges	0.00		
To Bank Charges Distt Union	74,036.57		
To Advertisement Expenses	3,79,978.00		
To Sal Seed Insurance Premium	0.00		
To Revolving Fund of MSP	10,12,42,802.41		
TOTAL	10,17,30,152.91	TOTAL	10,17,30,152.91

Note : 1- Chironji and Mahua Seed Trading Account appearing payable to MFP Gatherers or Loss in paisa i.e. due to round off calculation in Tally.
2- Expenses other then collection i.e indirect expenses are seperately shown in indirect income/expenses statement.

(D.K. SHRIVASTAVA) ASST. ACCOUNT OFFICER	(CA SURESH VERMA) ASST. MANAGER (ACCTS)	(C.L. THAKUR) MANAGER (FIN/ACCTS)	(KAUSHLENDRA KUMAR) EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)	(MUDIT KUMAR SINGH) MANAGING DIRECTOR	(C.A. ABHISHEK GUPTA) AUDITOR

C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "B" M.S.P PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2017

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES		AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS		AMOUNT
1,94,36,45,281.12	*Revolving Fund of MSP*		2,19,48,88,083.53	2,02,50,587.58	*Fund to Meet Losses*		30,64,42,229.21
	Opening Balance	1,94,36,45,281.12			*Opening Balance*	2,02,50,587.58	
	+Fund received	15,00,00,000.00			*+ Current Year Trading losses*	28,61,91,641.63	
	+ Net of Indirect Income/Expenses	10,12,42,802.41					
				45,20,13,548.88	*Closing Stock*		19,31,01,500.93
2,73,26,193.33	*Payable to MFP Gatherers Under MSP*		2,74,93,382.23		*Sal Seed*	61,41,160.51	
	Opening Balance	2,73,26,193.33			*Harra*	4,70,78,478.05	
	+ Current Year	1,67,188.90			*Mahua*	8,55,001.09	
					Imli	1,98,16,388.88	
41,891.01	*Duties & Taxes*		4,45,902.68		*Kusumi Lac*	6,73,35,163.20	
	Forest Development Tax	2,85,873.20			*Ranigini Lac*	1,33,62,289.82	
	Entry Tax	1,60,029.48			*Chironji*	3,85,13,019.38	
1,17,04,826.76	*Service Charges Payable*		47,47,343.94				
				70,980.57	*Duties & Taxes*		4,18,253.35
28,95,923.69	*Sundry Creditors*		1,729.69		*TCS*	3,22,650.84	
	MFP Purchasers	1,726.00			*Value Added Tax*	95,602.51	
	NCDEX	3.69					

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES		AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS		AMOUNT
				16,38,02,967.54	***Loans and Advances***		**8,78,64,393.95**
					District Union Advance	38,37,379.04	
					Tax Deducted at Source (Bank)	2,18,38,578.10	
					Receivable from Tendu Patta A/c	21,94,134.00	
					Interest Receivable	5,99,94,302.81	
				1,31,01,45,817.00	***Deposits***		**1,43,00,00,000.00**
					FDR A/c (Andhra BANK)	2,73,00,000.00	
					FDR A/c (Apex BANK)	20,00,00,000.00	
					FDR A/c (Bank of Baroda)	2,73,00,000.00	
					FDR A/c (OBC)	2,73,00,000.00	
					FDR A/c (PNB)	2,83,00,000.00	
					FDR A/c (UCO Bank)	1,98,00,000.00	
					FDR A/c (YES Bank)	1,10,00,00,000.00	
				3,93,30,214.34	***Bank Account***		**20,97,50,064.63**
					PNB A/c No. 000067	20,97,50,064.63	
1,98,56,14,115.91	**GRAND TOTAL**		**2,22,75,76,442.07**	**1,98,56,14,115.91**	**GRAND TOTAL**		**2,22,75,76,442.07**

(D.K. SHRIVASTAVA)
ASST. ACCOUNT OFFICER

(CA SURESH VERMA)
ASST. MANAGER (ACCTS)

(C.L. THAKUR)
MANAGER (FIN/ACCTS)

(KAUSHLENDRA KUMAR)
EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)

(MUDIT KUMAR SINGH)
MANAGING DIRECTOR

(C.A. ABHISHEK GUPTA)
AUDITOR

<u>विषय क्रमांक - 6</u>

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के अंदर अंकेक्षण कार्य कराया जाना है तथा अधिनियम की धारा 49 (छ) अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति की जानी है।

पंजीयक सहकारी संस्थाए छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/514 दिनांक 28.01.2014 से दिये गये निर्देशों की कण्डिका 8 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी संपरीक्षक / संपरीक्षा फर्म को किसी सोसायटी को लगातार 3 वर्षो की संपरीक्षा हेतु नियुक्ति नहीं की जा सकती है। उक्त निर्देशों से स्पष्ट है कि 2 वर्ष लगातार अंकेक्षण कार्य कराया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षण हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाये द्वारा सूचीकृत चार्टड एकांउटेंट फर्मो से विज्ञापन के आधार पर परीक्षण उपरांत प्राप्त आवेदन में से तकनीकी रूप से पात्र न्यूनतम दर प्रस्तुत कर्ता फर्म मुकुंद शिवा एण्ड एसोसिएट्स रायपुर को राशि रुपये 1,49,100/- की दर पर संघ द्वारा गठित समिति के अनुसंशा उपरांत नियुक्त किया गया था।

वर्ष 2017-18 का अंकेक्षण पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी राशि रुपये 1,49,100/- की दर पर मेसर्स मुकुंद शिवा एण्ड एसोसिएट्स से कराये जाने के लिये कार्यालयीन पत्र क्रमांक/7934 दिनांक 20.07.2017 से सहमति चाही गई थी। उनके पत्र दिनांक 22.07.2017 से वर्ष 2016-17 की अंकेक्षण दर रुपये 1,49,100/- पर वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण हेतु सहमति दिया है, तदानुसार वर्ष 2017-18 का अंकेक्षण मेसर्स मुकुंद शिवा एंड एसोसिएट्स से कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (छ) के पालन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव संघ के वार्षिक आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>विषय क्रमांक - 7</u>

विषयः- वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक के अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरांत शुद्ध लाभ का विभाजन।

वित्तीय वर्ष 2009-10

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2009-10 का अंकेक्षण टीप पारित कर प्रस्तुत किया गया है, 2009-10 के वित्तीय पत्रकों को संघ की 11 वीं आम सभा मार्च 2011 में अनुमोदन कराया जा चुका है।

पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर द्वारा पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को वर्ष 2009-10 में राशि रूपये 3,00,98,324.00 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009-10 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ रूपये 3,00,98,324.00 का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है। अतः संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन निम्नानुसार होना है -

क्रमांक	फंड का नाम	विभाजन प्रतिशत	विभाजित राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.50%	1,00,82,938.54
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	60,19,664.80
3	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	30,09,832.40
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	9,02,949.72
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	30,09,832.40
6	भवन फंड	17%	51,16,715.08
7	वाहन फंड	4.50%	13,54,424.58
8	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	6,01,966.48
योग :-		**100%**	**3,00,98,324.00**

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्तीय वर्ष 2010-11

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण टीप पारित कर प्रस्तुत किया गया है, 2010-11 के वित्तीय पत्रकों को संघ की 12वीं आम सभा मार्च 2012 में अनुमोदन कराया जा चुका है।

पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर द्वारा पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को वर्ष 2010-11 में राशि रूपये 3,07,52,925.49 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ रूपये 3,07,52,925.49 का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है। अतः संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन निम्नानुसार होना है -

क्रमांक	फंड का नाम	विभाजन प्रतिशत	विभाजित राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.50%	1,03,02,230.04
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	61,50,585.10
3	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	30,75,292.55
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	9,22,587.76
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	30,75,292.55
6	भवन फंड	17%	52,27,997.33
7	वाहन फंड	4.50%	13,83,881.65
8	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	6,15,058.51
योग :-		**100%**	**3,07,52,925.49**

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्तीय वर्ष 2011-12

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2011-12 का अंकेक्षण टीप पारित कर प्रस्तुत किया गया है, 2011-12 के वित्तीय पत्रकों को संघ की 13वीं आम सभा मार्च 2013 में अनुमोदन कराया जा चुका है।

पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर द्वारा पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को वर्ष 2011-12 में राशि रूपये 3,81,55,028.00 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ रूपये 3,81,55,028.00 का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है। अतः संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन निम्नानुसार होना है -

क्रमांक	फंड का नाम	विभाजन प्रतिशत	विभाजित राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.50%	1,27,81,934.38
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	76,31,005.60
3	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	38,15,502.80
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	11,44,650.84
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	38,15,502.80
6	भवन फंड	17%	64,86,354.76
7	वाहन फंड	4.50%	17,16,976.26
8	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	7,63,100.56
योग :-		**100%**	**3,81,55,028.00**

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्तीय वर्ष 2012-13

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2012-13 का अंकेक्षण टीप पारित कर प्रस्तुत किया गया है, 2012-13 के वित्तीय पत्रकों को संघ की 14वीं आम सभा दिसंबर 2013 में अनुमोदन कराया जा चुका है।

पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर द्वारा पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को वर्ष 2012-13 में राशि रूपये 4,56,82,805.00 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ रूपये 4,56,82,805.00 का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है। अतः संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन निम्नानुसार होना है -

क्रमांक	फंड का नाम	विभाजन प्रतिशत	विभाजित राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.50%	1,53,03,739.68
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	91,36,561.00
3	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	45,68,280.50
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	13,70,484.15
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	45,68,280.50
6	भवन फंड	17%	77,66,076.85
7	वाहन फंड	4.50%	20,55,726.23
8	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	9,13,656.10
योग :-		**100%**	**4,56,82,805.00**

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्तीय वर्ष 2013-14

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2013-14 का अंकेक्षण टीप पारित कर प्रस्तुत किया गया है, 2013-14 के वित्तीय पत्रकों को संघ की 15 वीं आम सभा सितंबर 2014 में अनुमोदन कराया जा चुका है।

पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर द्वारा पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 5,36,65,139.00 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ रूपये 5,36,65,139.00 का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है। अतः संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन निम्नानुसार होना है -

क्रमांक	फंड का नाम	विभाजन प्रतिशत	विभाजित राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.50%	1,79,77,821.57
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	1,07,33,027.80
3	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	53,66,513.90
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	16,09,954.17
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	53,66,513.90
6	भवन फंड	17%	91,23,073.63
7	वाहन फंड	4.50%	24,14,931.26
8	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	10,73,302.78
योग :-		**100%**	**5,36,65,139.00**

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्तीय वर्ष 2014-15

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2014-15 का अंकेक्षण टीप पारित कर प्रस्तुत किया गया है, 2014-15 के वित्तीय पत्रकों को संघ की 16 वीं आम सभा सितंबर 2015 में अनुमोदन कराया जा चुका

पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर द्वारा पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 4,52,47,244.85 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ रूपये 4,52,47,244.85 का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है। अतः संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन निम्नानुसार होना है -

क्रमांक	फंड का नाम	विभाजन प्रतिशत	विभाजित राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.50%	1,51,57,827.02
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	90,49,448.97
3	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	45,24,724.49
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	13,57,417.35
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	45,24,724.49
6	भवन फंड	17%	76,92,031.62
7	वाहन फंड	4.50%	20,36,126.02
8	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	9,04,944.90
योग :-		**100%**	**4,52,47,244.85**

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्तीय वर्ष 2015-16

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2015-16 का अंकेक्षण टीप पारित कर प्रस्तुत किया गया है, 2015-16 के वित्तीय पत्रकों को संघ की 17वीं आम सभा सितंबर 2016 में अनुमोदन कराया जा चुका है।

पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर द्वारा पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 6,02,40,190.15 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ रूपये 6,02,40,190.15 का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है। अतः संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन निम्नानुसार होना है -

क्रमांक	फंड का नाम	विभाजन प्रतिशत	विभाजित राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.50%	2,01,80,463.70
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	1,20,48,038.03
3	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	60,24,019.02
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	18,07,205.70
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	60,24,019.02
6	भवन फंड	17%	1,02,40,832.33
7	वाहन फंड	4.50%	27,10,808.56
8	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	12,04,803.80
	योग :-	**100%**	**6,02,40,190.15**

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	विभागीय पद
1	2	3	4
1.	श्री मुदित कुमार सिंह आई.एफ.एस	प्रबंध संचालक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2.		अपर प्रबंध संचालक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
3.	डॉ. बी.पी. नोन्हारे आई.एफ.एस	कार्यकारी संचालक (परियोजना एवं विपणन)	मुख्य वन संरक्षक
4.	श्री कौशलेन्द्र कुमार आई.एफ.एस	कार्यकारी संचालक (व्यापार एवं विकास)	मुख्य वन संरक्षक
5.	श्री व्ही.एस. लकड़ा आई.एफ.एस	महा प्रबंधक	मुख्य वन संरक्षक
6.	श्री आर.सी. दुग्गा आई.एफ.एस	उप महा प्रबंधक (उत्पादन / भण्डारण)	उप वन संरक्षक
7.	श्रीमती सावित्री भगत	सचिव	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं
8.	श्री सी.एल. ठाकुर	प्रबंधक (वित्त)	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं
9.	श्री सुबीर कुमार दत्ता	उप महा प्रबंधक (प्रणाली)	उप महा प्रबंधक (प्रणाली)
10.	श्री सुरेश वर्मा (संविदा)	प्रबंधक (लेखा)	प्रबंधक (लेखा)
11.	श्री के.के. धनगर	स्टॉफ ऑफिसर	स्टॉफ आफिसर
12.	श्री डी.के. श्रीवास्तव	सहायक लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी